[2019] 5 एस. सी. आर 638

यशवंत सिन्हा और ओआरएस।

वी.

इसके माध्यम से अनुसंधान का केंद्रीय केंद्र

निदेशक और ए. एन. आर.

(2019 की पुनरीक्षण याचिका (आपराधिक) संख्या 46)

में।

(2018 की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या 298)

अप्रैल 10,2019

[रंजन गोगोई, सीजेआई। , संजय किशन कौल और

के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923: एसएस। 3 और 5-पुनरीक्षण याचिका प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति

पुनरीक्षण याचिका की स्थिरता इस आधार पर कि पुनरीक्षण याचिका से जुड़े और पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन तीन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उन्हें रक्षा मंत्रालय के कार्यालय से अनधिकृत रूप से हटा दिया गया था और उक्त कारण से, पुनरीक्षण याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी क्योंकि उक्त अधिनियम ने एस. एस. के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। 3 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के 5 उक्त तीन दस्तावेज़ अलग-अलग तिथियों पर दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे-आयोजितः संसद द्वारा अधिनियमित कोई कानून ध्यान में नहीं लाया गया था जो (2) में उल्लिखित किसी भी आधार पर ऐसे दस्तावेजों के प्रकाशन को विशेष रूप से प्रतिबंधित या प्रतिबंधित किया गया है-जहां तक विशेषाधिकार के दावे का संबंध है, साक्ष्य अधिनियम, 1872 का s.123 अप्रकाशित सार्वजनिक अभिलेखों से संबंधित है-धाराओं के तहत प्रकटीकरण के खिलाफ प्रतिरक्षा का दावा। 123 साक्ष्य अधिनियम का होना चाहिए

हालाँकि, तत्काल मामले में अभ्यास आवश्यक नहीं था क्योंकि दस्तावेज़ सार्वजनिक क्षेत्र में और पहुंच के भीतर थे और संपूर्ण नागरिक का ज्ञान, एक व्यावहारिक और सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण इस स्पष्ट निष्कर्ष पर ले जाता है कि यह अर्थहीन होगा और न्यायालय के लिए उक्त दस्तावेज़ को पढ़ने और उस पर विचार करने से बचना या इसके साक्ष्य मूल्य और मूल्य को बंद करने से बचना पूरी तरह से व्यर्थ होगा।

638 यशवंत सिन्हा बनाम। सीबीआई टीएचआर। यह निदेशक है

पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है-पुनरीक्षण याचिकाएं होनी चाहिए

समीक्षा याचिका-साक्ष्य अधिनियम, 1872-से जुड़े तीन दस्तावेजों की सामग्री की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए अपनी योग्यता के आधार पर निर्णय लिया गया। s.123-भारत का संविधान-Art.19 (2) (रंजन गोगोई, सीजेआई के अनुसार)

साक्ष्य अधिनियम, 1872: s.123-विशेषाधिकार के लिए दावा, छूट-आयोजितः एस के तहत विशेषाधिकार के लिए दावा। 123 सार्वजनिक नीति पर आधारित होना माफ नहीं किया जा सकता-विशेषाधिकार के दावे का आधार केवल सार्वजनिक हित है और हो सकता है। (प्रति के. एम. जोसेफ, जे.)

दबाएँः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता-भारत में प्रेस का अधिकार Art.19 (1) (a) के तहत नागरिकों के अधिकार से अधिक नहीं है और उसी प्रावधान से पता चलता है-यदि प्रेस द्वारा जिम्मेदारी की गहरी भावना के बिना स्वतंत्रता का आनंद लिया जाता है, तो यह भारत के लोकतंत्र संविधान को कमजोर कर सकता है-कला। 19 (1) (ए)। (प्रति के. एम. जोसेफ, जे.)

न्यायशास्त्रः क्राउन विशेषाधिकार-भारत और इंग्लैंड में कानून-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा पेश किया गया परिवर्तन-चर्चा की गई-विशेषाधिकार से संबंधित कानून के तहत, दस्तावेजों के दो वर्ग हैं जो सामान्य रूप से विशेषाधिकार का आधार बनते हैं-पहली श्रेणी में, विशेषाधिकार का दावा विशेष दस्तावेजों की सामग्री के आधार पर किया जाता है-दूसरा शीर्ष जिसके तहत विशेषाधिकार का दावा किया जाता है, वह दस्तावेज़ के मामले में है जो दस्तावेजों के एक वर्ग में आता है जो इसे प्रकटीकरण और पेश करने से सुरक्षा का अधिकार देता है-जब कोई दस्तावेज़ ऐसे वर्ग में आता है, तो आमतौर पर अदालतों को सामग्री पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है-जब उदाहरण के लिए राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित मामले में विशेषाधिकार का दावा किया गया था, पारंपरिक रूप से, इंग्लैंड और भारत दोनों में अदालतों ने माना है कि ऐसे दस्तावेज इस श्रेणी में आते हैं। 8 (1) (क) ऐसी सूचना, जिसका प्रकटीकरण भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, सुरक्षा और रणनीतिक

राज्य के वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेशी राज्य के साथ संबंध या किसी अपराध को उकसाने वाली जानकारी को आम तौर पर प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी जाती है, लेकिन ऐसे मामलों के संबंध में भी, संसद ने एस के रूप में कानून को आगे बढ़ाया है। 8 (2) इस सिद्धांत को मान्यता देकर कि सूचना का प्रकटीकरण

केवल जनहित को खतरे में डालने की नींव पर ही इनकार किया जा सकता है-दूसरे शब्दों में, [2019] 5 एस. सी. आर. में सूचना तक पहुंच की अनुमति है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस के अंतर्गत आने वाले मामलों का सम्मान। 8 (1) (क), यदि मामला एस के तहत बनाया गया है। 8 (2) – इस प्रकार, आर. टी. आई. अधिनियम एस. के माध्यम से। 8 (2) प्रदान किया गया है

नागरिकों को देश की सुरक्षा और विदेशी राज्य के संबंध से संबंधित मामलों जैसे मामलों के संबंध में भी जानकारी मांगने का अधिकार देकर एक अमूल्य अधिकार है-ऐसे मामले में, आवेदक को यह स्थापित करना होगा कि ऐसी जानकारी को रोकना उसे प्रकट करने से अधिक नुकसान पहुंचाता है। सूचना अधिनियम, 2005-एस. 8 (1) (ए), 8 (2)। (प्रति के. एम. जोसेफ, जे.)

पुनरीक्षण याचिकाओं की स्थिरता के संबंध में प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पर रंजन गोगोई, सीजेआई। (अपने लिए और

संजय किशन कौल, जे.)

1. सरकारी गोपनीयता अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है और किसी अन्य कानून में ऐसा कोई प्रावधान ध्यान में नहीं लाया गया है

2. जहाँ तक विशेषाधिकार के दावे का संबंध है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 यह अप्रकाशित सार्वजनिक अभिलेखों से संबंधित है। ये तीनों दस्तावेज़ 'द हिंदू' अखबार के अलग-अलग संस्करणों में प्रकाशित हुए हैं।

इसके अलावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत प्रकटीकरण के खिलाफ प्रतिरक्षा के दावे पर अनिवार्य रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए।

लोकहित की कसौटी और स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि सार्वजनिक हित को प्रकटीकरण की आवश्यकता से खतरे में नहीं डाला जाता है, न्यायालय प्रश्नगत दस्तावेज़ का निरीक्षण भी कर सकता है, हालांकि उक्त शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। हालाँकि, इस तरह की कवायद तत्काल मामले में आवश्यक नहीं होगी क्योंकि दस्तावेज़ सार्वजनिक क्षेत्र में होने के कारण और पूरे नागरिक की पहुंच और ज्ञान के भीतर होने के कारण, एक व्यावहारिक और सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण इस स्पष्ट निष्कर्ष पर ले जाएगा कि यह एक अर्थहीन और स्पष्ट होगा। न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज को पढ़ने और उस पर विचार करने से बचने या उसके साक्ष्य मूल्य और मूल्य को बंद करने के लिए पूर्ण निरर्थकता का प्रयोग करना। [पैरा 6] [654-डी-एफ] यशवंत सिन्हा बनाम।

सीबीआई टीएचआर। यह निदेशक है

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (2) में यह विचार किया गया है कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम में कुछ भी होने और धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत अनुमत छूटों के बावजूद, एक सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना तक पहुंच की अनुमति देने में उचित होगा, यदि उचित संतुलन पर, प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित सुरक्षा के लिए मांगे गए नुकसान से अधिक है। जब विचाराधीन दस्तावेज पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, तो अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) के तहत संरक्षण सार्वजनिक हित की सेवा कैसे करेगा। समीक्षा याचिकाओं पर उनकी योग्यता के आधार पर निर्णय लेना होगा तीन दस्तावेजों की सामग्री की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए, जिसकी स्वीकार्यता, न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में, समीक्षा याचिकाओं में प्रत्यर्थियों द्वारा सवाल किए जाने की मांग की गई है। [पैरा 9,12] [655-एफ-जी; 666-जी]

रोमेश थापर बनाम। मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 124: [1950] एस. सी. आर. 594; बृज भूषण बनाम। दिल्ली राज्य ए. आई. आर 1950 एस. सी. 129: [1950] एससीआर 605; इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड बनाम। संघ भारत का 1985 (1) एस. सी. सी. 641: [1985] 2 एस. सी. आर. 287; प्रिंटर्स (मैसूर) लिमिटेड बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी 1994 (2) एससीसी 434: [1994] 1 एससीआर 682; एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 149: [1982] एस. सी. आर. 365; पूरन मल बनाम। निरीक्षण निदेशक

(आय-कर की जांच), नई दिल्ली ए. आई. आर. 1974 एस. सी.

348 [1974] 2 एस. सी. आर. 704; मुख्य जानकारी

आयुक्त वी. मणिपुर राज्य (2011) 15 एससीसी 1: [2011] 13 एस. सी. आर. 505-निर्भर

न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी बनाम। संयुक्त राज्य 403 यू. एस. 713

(1971) – संदर्भित किया गया है

पेर के. एम. जोसेफ, जे. (सहमत)

1. भारत में क्राउन विशेषाधिकार से संबंधित कानून जैसा कि यह था

मूल रूप से इंग्लैंड में शैली मुख्य रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 नामक एक वैधानिक प्रावधान में अंतर्निहित है। सचिव के शपथ पत्र में उक्त अधिनियम की धारा 124 पर भी भरोसा किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि धारा 124 [2019] 5 एस. सी. आर. है।

सार्वजनिक अधिकारियों और निर्णायक पहलू तक ही सीमित

धारा 124 जनहित का संरक्षण है। धारा 162 विशेषाधिकार द्वारा कवर किए गए दस्तावेजों के निरीक्षण के पहलू से संबंधित है। इंग्लैंड में विशेषाधिकार से संबंधित कानून पूरी तरह से अदालत द्वारा बनाया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत विशेषाधिकार के दावे को सार्वजनिक नीति पर आधारित होने के कारण माफ नहीं किया जा सकता है। विशेषाधिकार के दावे का आधार है और केवल सार्वजनिक किया जा सकता है

ब्याज। [पैरा 7,8] [660-सी-एफ]

एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 (पूरक) एस. सी. सी. 87: [1982] एससीआर 365; एम/एस। डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ और अन्य 1988 (2) एस. सी. सी. 299: [1988] 2 एस. सी. आर. 962-निर्भर राजेंद्र सेल बनाम। एम. पी. उच्च न्यायालय बी. आर. एसोसिएशन और

अन्य 2005 (6) एससीसी 109: [2005] 3 एस. सी. आर. 816; इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

वी. भारत संघ 1985 (1) एससीसी 641: [1985] 2 एस. सी. आर. 287 संदर्भित

2.1 बिना किसी स्पष्ट शब्दों में, संसद ने घोषणा की है कि

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, वर्ष 1923 में बनाया गया एक कानून और उस मामले के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उस समय लागू कोई अन्य कानून

आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद यह क्षेत्र बना रहेगा। धारा 24 का पहला प्रावधान वास्तव में अपने निर्वाचित निकायों के माध्यम से निकाय राजनीति के दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।

प्रतिनिधि हैं कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों का उल्लंघन

यह पूरी तरह से असंगत है और इसलिए लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों, कानून के शासन और संवैधानिक नैतिकता के लिए अभिशाप है। परंतुक घोषणा करता है कि भले ही खुफिया और सुरक्षा संगठनों के पास उपलब्ध जानकारी आम तौर पर अधिनियम के तहत विचार की गई खुली प्रकटीकरण व्यवस्था के दायरे से बाहर है, अगर जानकारी भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है या

मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली ऐसी जानकारी अधिनियम के तहत मांगी जाने के लिए बहुत उपलब्ध है। [पैरा 18] [668-बी-डी]

2.2 संसद ने वास्तव में इसे मजबूत करने का इरादा किया है

लोकतंत्र और पारदर्शिता और खुलेपन के उच्चतम स्तर को लागू करने की मांग की है। सूचना का अधिकार अधिनियम के पारित होने के साथ, नागरिकों को अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार मिल गया है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत, जो स्वयं यशवंत सिन्हा बनाम।

सीबीआई टीएचआर। यह निदेशक है

व्यापक के रूप में मान्यता दी गई है, अधिकारों की एक टोकरी को फलदायी अर्थ दिया गया है। अधिनियम की धारा 8 (2) एक ऐसी कानूनी क्रांति को प्रकट करती है जिसे इस रूप में पेश किया गया है कि धारा 8 की उप-धारा (1) या आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत घोषित छूटों में से कोई भी सूचना तक पहुंच के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हितों को नुकसान पहुंचाता है। [पैरा 19] [668-ई-जी]

2.3 यह सच है कि धारा 8 (1) (ए) के तहत ऐसी जानकारी जिसका खुलासा संप्रभुता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा और

भारत की अखंडता, सुरक्षा और रणनीतिक सुरक्षा और राज्य के रणनीतिक वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेशी राज्य के साथ संबंध या किसी अपराध को उकसाने वाली जानकारी को आम तौर पर प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी जाती है, लेकिन ऐसे मामलों के संबंध में भी संसद ने कानून को आगे बढ़ाया है।

तरीका जिसे केवल इस सिद्धांत को मान्यता देकर नाटकीय के रूप में वर्णित किया जा सकता है कि सूचना का प्रकटीकरण हो सकता है

केवल जनहित के खतरे में पड़ने के आधार पर अस्वीकार किया जाए। विशेषाधिकार से संबंधित कानून के तहत दस्तावेजों के दो वर्ग हैं जो आमतौर पर विशेषाधिकार का आधार बनते हैं। पहली श्रेणी में, विशेषाधिकार का दावा विशेष दस्तावेजों की सामग्री के आधार पर किया जाता है। दूसरा शीर्ष जिसके तहत आमतौर पर विशेषाधिकार का दावा किया जाता है, वह यह है कि दस्तावेज़ एक ऐसा दस्तावेज़ है जो दस्तावेजों के एक वर्ग में आता है जो इसे प्रकटीकरण और पेश करने से सुरक्षा का हकदार बनाता है। जब कोई दस्तावेज़ ऐसे वर्ग में आता है, तो आम तौर पर अदालतों को बताया जाता है कि यह पर्याप्त है और अदालत सामग्री पर विचार नहीं कर सकती है। जब उदाहरण के लिए राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित मामले में विशेषाधिकार का दावा किया गया था, पारंपरिक रूप से, इंग्लैंड और भारत दोनों में अदालतों ने माना है कि ऐसे दस्तावेज दस्तावेजों के वर्ग में आते हैं जो इसे पेश करने से सुरक्षा का हकदार बनाते हैं। आर. टी. आई. अधिनियम के माध्यम से

धारा 8 (2) ने नागरिकों को एक अमूल्य अधिकार प्रदान किया है -

देश की सुरक्षा और विदेशी राज्य के साथ संबंध से संबंधित मामलों जैसे मामलों के संबंध में भी उन्हें जानकारी मांगने का अधिकार दें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जानकारी केवल पूछने के लिए नहीं दी जाती है। आवेदक को यह स्थापित करना चाहिए कि ऐसी जानकारी को रोकने से इसका खुलासा करने से अधिक नुकसान होता है। [पैरा 20] [668-एच; 669-ए-बी; ई-एच] [2019] 5 एस. सी. आर.

3.1 आर. टी. आई. अधिनियम के तहत विभाग के एक अधिकारी को इस संबंध में अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने की अनुमति है।

धारा 8 (1) (ए) के तहत आने वाले मामलों में भी, यदि धारा 8 (2) के तहत कोई मामला बनाया जाता है। यदि कोई अधिकारी अनुरोध को स्वीकार नहीं करता है, तो एक नागरिक उच्च अधिकारियों और अंत में अदालतों के समक्ष उपचार कर सकता है। इस मामले में वास्तव में, जिन दस्तावेजों के संबंध में विशेषाधिकार का दावा किया गया है, वे पहले से ही रिकॉर्ड में हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 वास्तव में एक ऐसी स्थिति पर विचार करती है जहां पक्ष दस्तावेज़ का उत्पादन चाहता है जो एक सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है और सार्वजनिक प्राधिकरण यह तर्क देकर विशेषाधिकार के लिए दावा करता है कि दस्तावेज़ उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। निसन्देह, इस तरह के दावे का आधार जनहित पर आधारित है। इंग्लैंड और भारत दोनों में सामान्य कानून के तहत अदालत द्वारा विचार की जा रही सामग्री का संदर्भ प्रासंगिक है। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि जिस तरीके से साक्ष्य प्राप्त किया जाता है, अर्थात् कि इसे अवैध तरीके से प्राप्त किया गया था, वह अदालत के निर्णय के संबंध में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा।

एक ही। [पारस 24,25,26] [670-एच; 671-ए-सी; एफ-जी]

पूरन मल बनाम। के निरीक्षण निदेशक (जांच) आय-कर, नई दिल्ली ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 348: [1974] 2 एससीआर 704; यू. पी. राज्य बनाम राज नारायण आकाशवाणी 1975 एससी

865 : [1975] 3 एस. सी. आर. 333-निर्भर

3.2 विचाराधीन दस्तावेज़ 'द' में प्रकाशित किए गए थे

'हिंदू', एक राष्ट्रीय दैनिक। यह सच है कि इन्हें आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है। सामग्री की शुद्धता प्रति से दस्तावेजों पर सवाल नहीं उठाए गए। अंत में, मामले में विशेषाधिकार के दावे को सख्ती से शामिल नहीं किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने उत्तरदाताओं से मूल प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा है और राज्य दस्तावेजों की सामग्री की शुद्धता पर आपत्ति नहीं लेता है। उत्तरदाताओं का अनुरोध है कि दस्तावेज़ों को अभिलेख से हटा दिया जाए। उन दस्तावेजों के संबंध में जो अनुचित रूप से प्राप्त किए गए हैं और जो विशेषाधिकार के दावे के अधीन हैं, निस्संदेह प्रासंगिकता का सामान्य नियम अकेले पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि किसी दिए गए मामले में व्यापक सार्वजनिक हित सार्वजनिक हित को ओवरराइड करने के आधार पर वर्जित को वैध बनाने से इनकार कर सकता है। [पारस 27,31] [678-बी-डी] यशवंत सिन्हा बनाम।

सीबीआई टीएचआर। यह निदेशक है

समय वी। हिल 385 यूएस 374; डेनिस बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका 341

यूएस 494; सेंकी बनाम। व्हिटलम (1978) 142 सी. एल. आर. 1; रोजर्स वी. गृह सचिव 1973 ए. सी. 388

मामला कानून संदर्भ

पर रंजन गोगोई, सीजेआई।

[1950] एससीआर 594

पै

रा 4

उस पर भरोसा करें

[1950] एससीआर 605

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4

[1985] 2 एससीआर 287

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4

[1994] 1 एससीआर 682

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4

[1982] एससीआर 365

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6

[1974] 2 एससीआर 704

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7

[2011] 13 एससीआर 505

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8

[1973] 0 पूरक। एससीआर 1

पीछा किया।

पै

रा 11

पेर के. एम. जोसेफ, जे.

[2005] 3 एससीआर 816

पै

रा 2

संदर्भित किया गया है

[1985] 2 एससीआर 287

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[1975] 3 एससीआर 333

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[1982] एससीआर 365

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

[1988] 2 एससीआर 962

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

[1975] 3 एससीआर 333

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

[1974] 2 एससीआर 704

उस पर भरोसा करें

पै

रा 26

आपराधिक मूल

न्यायनिर्णयः समीक्षा पालतू जानवर

(आपराधिक) 20 की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या 298 में 2019 की संख्या 46

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

डब्ल्यू. पी. में एम. ए. सं. 58/2019 (सीआरएल।) नं. 225/2018, आर. पी. (

नं. डब्ल्यू. पी. में 122/2019। (सीआरएल।) नं. 297/2018, एम. ए. नं. 403/201 डब्ल्यूपी. (सीआरएल।) नं. 298/2018, आर. पी. (ग) डब्ल्यू. पी. में संख्या 719/2019। (ग) संख्या 1 2018।

19] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खान, सुश्री सुमन, सुश्री दीपिका कालिया, कपीश सेठ, सुश्री सृष्टि बनर्जी, आशुतोष गर्ग, सुश्री श्रद्धा देशमुख, आर. बालासुब्रमण्यम, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

प्रशांत भूषण, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, मनोहर लाल शर्मा, याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय और आदेश दिए गए:

न्याय

रंजन गोगोई, सीजेआई

1. समीक्षा याचिका की रखरखाव के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति अटॉर्नी जनरल की ओर से उठाई गई है

उत्तरदाताओं। विद्वान महान्यायवादी का तर्क है कि समीक्षा याचिका में ईमानदारी का अभाव है क्योंकि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय से अनधिकृत रूप से हटाए गए तीन दस्तावेजों को समीक्षा याचिका में जोड़ा गया है और समीक्षा याचिकाकर्ताओं द्वारा उन पर भरोसा किया गया है। विचाराधीन तीन दस्तावेज इस प्रकार हैं:

भारतीय संघ के तीन सदस्यों द्वारा लिखा गया आठ पृष्ठ का एक नोट

(अ)

वार्ता दल ('आई. एन. टी.') के संदर्भ में आरोपित

राफेल सौदा (नोट दिनांक 01.06.2016)

(ख)

नोट-रक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) का 18,

एफ. नं. एयरएचक्यू/एस/96380/3/एएसआर पीसी-XXVI (चिह्नित गुप्त

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत)

नोट-10 एस. के. शर्मा (उप सचिव, रक्षा मंत्रालय,

((ग)

एयर-III), नोट दिनांकित 24.11.2015 (के तहत चिह्नित गुप्त

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम)

2. यह संतुष्ट है कि कथित अनधिकृत निष्कासन

भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी की अभिरक्षा से दस्तावेज और समीक्षा याचिका में आग्रह की गई याचिकाओं का समर्थन करने के लिए उनका उपयोग आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3 और 5 के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह भी तर्क दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) में निहित प्रावधानों को देखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दस्तावेजों तक पहुंच नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 में निहित लोगों को सेवा में लगाया गया है और विशेषाधिकार का दावा किया गया है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र में उनके प्रकटीकरण को रोका जा सके। आधिकारिक रहस्यों की धारा 3,5 (1)-यशवंत सिन्हा बनाम।

सीबीआई टीएचआर। इसके निदेशक [रंजन गोगोई, सीजेआई]

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) और 8 (2) और साक्ष्य अधिनियम की धारा जिस पर विद्वान वकील ने भरोसा किया है

नीचे लिखा है।

3. जासूसी के लिए दंड। - (1) यदि कोई व्यक्ति किसी भी उद्देश्य के लिए

राज्य की सुरक्षा या हितों के लिए हानिकारक -

(क) पहुँचता है, निरीक्षण करता है, गुजरता है या उसके आसपास है, या

किसी भी निषिद्ध स्थान में प्रवेश करता है; या

(बी) किसी भी रेखाचित्र, योजना, मॉडल या नोट को बनाता है जिसकी गणना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होने के लिए की जाती है या हो सकती है या होने का इरादा है।

किसी भी दुश्मन के लिए; या

(ग) किसी अन्य व्यक्ति को कोई गुप्त आधिकारिक कोड या पासवर्ड, या कोई स्केच, योजना, मॉडल, लेख या नोट या अन्य दस्तावेज़ या जानकारी प्राप्त करता है, एकत्र करता है, रिकॉर्ड करता है या प्रकाशित करता है या संचारित करता है जिसकी गणना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दुश्मन के लिए उपयोगी होने के लिए की जाती है या होने का इरादा है या जो किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिसके प्रकटीकरण से किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित होने की संभावना है।

भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या

विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधः

जहां अपराध रक्षा, शस्त्रागार, नौसेना, सैन्य या वायु सेना प्रतिष्ठान या स्टेशन, खदान, खदान क्षेत्र, कारखाना, डॉकयार्ड, शिविर, जहाज या विमान के किसी भी काम के संबंध में किया गया है या अन्यथा सरकार के नौसेना, सैन्य या वायु सेना मामलों के संबंध में या किसी गुप्त आधिकारिक संहिता के संबंध में, चौदह तक

वर्ष और अन्य मामलों में तीन वर्ष तक।

(2) इस धारा के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन पर

यह दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी कि अभियुक्त व्यक्ति था

राज्य की सुरक्षा या हितों के लिए प्रतिकूल उद्देश्य दिखाने की प्रवृत्ति रखने वाले किसी विशेष कार्य का दोषी, और इसके बावजूद कि उसके खिलाफ ऐसा कोई कार्य साबित नहीं हुआ है, वह दोषी ठहराया जा सकता है यदि मामले की परिस्थितियों या उसके आचरण या उसके ज्ञात चरित्र से यह साबित होता है कि उसका उद्देश्य राज्य की सुरक्षा या हितों के लिए प्रतिकूल था; और यदि कोई रेखाचित्र, योजना, मॉडल, लेख, नोट, दस्तावेज़, या किसी निषिद्ध स्थान से संबंधित या उपयोग की गई जानकारी, या ऐसे स्थान पर किसी भी चीज़ से संबंधित जानकारी, या

गुप्त आधिकारिक कोड या पासवर्ड बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है, एकत्र किया जाता है, [2019] 5 एस. सी. आर.

वैध प्राधिकारी के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिलिखित, प्रकाशित या संप्रेषित किया गया, और परिस्थितियों से

मामला या उसके आचरण या उसके ज्ञात चरित्र के रूप में यह साबित होता है कि उसका उद्देश्य सुरक्षा के लिए प्रतिकूल उद्देश्य था या राज्य के हितों, जैसे रेखाचित्र, योजना, मॉडल, लेख, टिप्पणी,

यह माना जाएगा कि दस्तावेज़, जानकारी, कोड या पासवर्ड बनाया गया है, प्राप्त किया गया है, एकत्र किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, प्रकाशित किया गया है या

राज्य की सुरक्षा या हितों के लिए प्रतिकूल उद्देश्य के लिए संचारित।

5. सूचना का गलत संचार, आदि। - (1) यदि कोई व्यक्ति किसी गुप्त आधिकारिक संहिता को अपने कब्जे या नियंत्रण में रखता है

या पासवर्ड या कोई स्केच, योजना, मॉडल, लेख, नोट, दस्तावेज़ या जानकारी जो किसी निषिद्ध स्थान से संबंधित है या जिसका उपयोग किया जाता है या

यह ऐसे स्थान पर किसी भी चीज़ से संबंधित है, या जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दुश्मन की सहायता करने की संभावना है या जो किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिसका खुलासा संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने की संभावना है।

भारत की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या जो इस अधिनियम के उल्लंघन में बनाए गए या प्राप्त किए गए हैं, या जो सरकार के तहत पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें विश्वास में सौंपा गया है, या जिसे उन्होंने प्राप्त किया है या जिसे एक व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति के कारण उनकी पहुंच थी। जो सरकार की ओर से किया गया अनुबंध रखता है या रखता है, या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन कार्यरत है या रहा है जो ऐसा पद या अनुबंध रखता है या रखता है

(क) कोड या पासवर्ड, रेखाचित्र, योजना, मॉडल, लेख, नोट, दस्तावेज़ या जानकारी को जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को संचारित करता है, सिवाय उस व्यक्ति के जिसे वह इसे संचारित करने के लिए अधिकृत है, या एक न्याय न्यायालय या एक व्यक्ति जिसे वह है, राज्य के हित में, इसे संचारित करने का अपना कर्तव्य; या (ख) अपने पास मौजूद जानकारी का उपयोग किसी विदेशी शक्ति के लाभ के लिए या सुरक्षा के लिए प्रतिकूल किसी अन्य तरीके से करता है।

राज्य का; या

(ग) स्केच, योजना, मॉडल, लेख, नोट या दस्तावेज़ को अपने कब्जे या नियंत्रण में तब रखता है जब उसे इसे बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है, या जब इसे बनाए रखना उसके कर्तव्य के विपरीत है, या जानबूझकर सभी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।

उसकी वापसी या निपटान के लिए; या अश्वंत सिन्हा v.

सीबीआई टीएचआर। इसके निदेशक [रंजन गोगोई, सीजेआई]

उचित देखभाल करने में विफल रहता है, या इसलिए स्केच, योजना, मॉडल, लेख, नोट, दस्तावेज़, गुप्त आधिकारिक कोड या पासवर्ड या जानकारी की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए खुद को संचालित करता है;

इस धारा के तहत किसी अपराध का दोषी होगा।

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

सूचना के प्रकटीकरण से छूट। – (1)

इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने पर, कोई नहीं होगा

किसी भी नागरिक को देने का दायित्व, -

ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

बशर्ते कि ऐसी जानकारी जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है

-किसी भी व्यक्ति को देयता या राज्य विधानमंडल से वंचित नहीं किया जाएगा।

सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में कुछ भी होने के बावजूद और न ही इसमें किसी भी छूट की अनुमति है।

उप-धारा (1) के अनुसार, एक सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित अधिक है।

संरक्षित हितों को नुकसान।

XXXXXXXXXXXXXXXX बशर्ते कि जहां उस तारीख के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है जिससे बीस वर्षों की उक्त अवधि की गणना की जानी है, [2019] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

इस अधिनियम में उपबंधित सामान्य अपीलों के लिए।

123. राज्य के मामलों के बारे में साक्ष्य। - किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी।

राज्य के किसी भी मामले से संबंधित, राज्य की अनुमति के अलावा संबंधित विभाग के प्रमुख का अधिकारी, जो देगा

या ऐसी अनुमति को रोक दें जो वह उचित समझता है। 3. तीन दस्तावेज जो वर्तमान की विषय वस्तु हैं

विवाद, जाहिर है, फरवरी, 2019 के महीने में अलग-अलग तारीखों पर 'द हिंदू' अखबार में प्रकाशित हुआ था। रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों में से एक, नोट-18, डिजिटल प्रिंट मीडिया के सदस्य 'द वायर' में भी प्रकाशित हुआ था।

4. तथ्य यह है कि तीन दस्तावेज में प्रकाशित किया गया था

हिन्दू और इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध थे, उत्तरदाताओं द्वारा गंभीर रूप से विवादित या विवादित नहीं किया गया है। 'द हिंदू' अखबार में दस्तावेजों के प्रकाशन के संबंध में कोई सवाल नहीं उठाया गया है और हमारी सुविचारित राय में, बहुत सही है। इस तरह का अधिकार

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के अनुरूप है। संसद द्वारा अधिनियमित कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में उल्लिखित किसी भी आधार पर ऐसे दस्तावेजों के प्रकाशन को विशेष रूप से प्रतिबंधित या प्रतिबंधित नहीं करता है।

हमारे ध्यान में लाया गया। वास्तव में, 'द हिंदू' समाचार पत्र में उक्त दस्तावेजों का प्रकाशन न्यायालय को रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1 और बृज से शुरू होने वाले निर्णयों की एक लंबी कतार में प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखने वाले इस न्यायालय के सुसंगत विचारों की याद दिलाता है।

भूषण बनाम। दिल्ली राज्य। हालांकि मुद्दे में नहीं, वर्तमान

इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर व्यक्त किए गए विचारों को याद करने का एक उचित अवसर हो सकता है। सचित्र रूप से और केवल इसकी व्यापकता के कारण इंडियन एक्सप्रेस में निम्नलिखित टिप्पणियाँ समाचार पत्र (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ 3

हो सकता है

निकाले गए:

" संविधान के सदस्यों में से एक के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता सभा ने कहा, उन वस्तुओं में से एक है जिसके आसपास सबसे बड़ा और

संवैधानिक संघर्षों में सबसे कड़वा संघर्ष किया गया है

ऐसे देश जहाँ उदार संविधान प्रचलित हैं। उक्त स्वतंत्रता है

1 आकाशवाणी 1950 एससी 124

2 ए. आई. आर 1950 एस. सी 129 3 1985 (1) एस. सी. सी. 641 यशवंत सिन्हा बनाम।

सीबीआई टीएचआर। इसके निदेशक [रंजन गोगोई, सीजेआई]

काफी त्याग और पीड़ा प्राप्त की और अंततः इसे विभिन्न लिखित संविधानों में शामिल किया गया है। जेम्स मैडिसन जब उन्होंने कांग्रेस को बिल ऑफ राइट्स की पेशकश की

1789 में कहा गया हैः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित है, प्रेस की स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से इस सरकार की पहुंच से बाहर घोषित किया गया है "(देखें, 1 एनल्स ऑफ कांग्रेस (1789-96) पी। 141) . यहां तक कि जहां कोई लिखित संविधान नहीं हैं, वहां भी अच्छी तरह से स्थापित संवैधानिक सम्मेलन या न्यायिक व्यवस्थाएं हैं। लोगों के लिए उक्त स्वतंत्रता को सुरक्षित करने वाली घोषणाएँ। द.

संयुक्त राष्ट्र और कुछ अन्य के बुनियादी दस्तावेज

अंतर्राष्ट्रीय निकाय जिनका संदर्भ इसके बाद दिया जाएगा

उक्त अधिकार को प्रमुखता दें।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया जो

इसमें अन्य स्वतंत्रताओं के अलावा प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल थी। स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष के दौरान, उन्हें अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स द्वारा पेश किया गया था जिसमें अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन शामिल था।

संयुक्त राज्य अमेरिका जिसने स्वतंत्रता की गारंटी दी

प्रेस। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक संकल्प में संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले संविधान के उद्देश्यों और उद्देश्यों को शामिल करते हुए कहा गया है कि संविधान को भारत के सभी लोगों के साथ-साथ अन्य लोगों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहीं और यह भी कहा कि "मैं सभी के साथ पूरी तरह से स्वतंत्र प्रेस रखना पसंद करूंगा।

उस स्वतंत्रता के गलत उपयोग में शामिल खतरे दबाए गए या विनियमित प्रेस "[देखें, डी. आर. मांकेकरः द प्रेस

दबाव (1973) पी के तहत। 25] . संविधान सभा और इसकी विभिन्न समितियों और उप-समितियों ने अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक बहुमूल्य अधिकार माना जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल थी। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के साथ-साथ अन्य लोगों को विचार अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। रोमेश थापर बनाम। मदरसा राज्य और बृज भूषण बनाम। दिल्ली राज्य 3, इस न्यायालय ने दृढ़ता से अपना विचार व्यक्त किया कि इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो सकता है अनुच्छेद 19 (2) में उल्लिखित लोगों के अलावा बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इस तरह यह स्पष्ट किया गया कि जनहित के नाम पर उस स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

950 एससी 124

यहां तक कि जब अनुच्छेद 19 के खंड (2) को बाद में संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 के तहत एक नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। खंड जिसने भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी-राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, अदालत की अवमानना या किसी अपराध को उकसाने के संबंध में शालीनता या नैतिकता, संसद ने जनहित में उचित प्रतिबंध लगाने को सक्षम करने वाले खंड को शामिल करने का विकल्प नहीं चुना।

बाद में इस न्यायालय द्वारा प्रिंटर ओर) लिमिटेड बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी में समान रूप से वाक्पटुता से व्यक्त किया गया दृष्टिकोण भी हो सकता है।पूरी तरह से पुनरावर्तित।

" प्रेस की स्वतंत्रता हमेशा सभी लोकतांत्रिक देशों में एक पोषित अधिकार रहा है। समाचार पत्र न केवल समाचारों का प्रचार करते हैं बल्कि बहुत कुछ के अलावा विचार, राय और विचारधाराएँ भी। उनसे सरकार और शासी शक्ति का प्रयोग करने वाले अन्य निकायों के कुकर्मों, विफलताओं और खामियों को सामने लाकर सार्वजनिक हित की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, इसलिए, इसे चौथी संपदा के रूप में वर्णित किया गया है। आज किसी भी राज्य की लोकतांत्रिक साख का आकलन उस राज्य में प्रेस को मिलने वाली स्वतंत्रता से किया जाता है। जस्टिस डगलस (एन अल्मानैक ऑफ लिबर्टी) के अनुसार

" असंतुष्ट प्रेस की सरकार द्वारा स्वीकृति राष्ट्र की परिपक्वता का एक उपाय है। विद्वान न्यायाधीश ने टर्मिनिएलो बनाम में टिप्पणी की। शिकागो, (1949) 93 L.Edn। 1131. , कि "हमारी सरकार की प्रणाली के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक कार्य विवाद को आमंत्रित करना है। यह वास्तव में अपने उच्च उद्देश्य को पूरा कर सकता है जब यह अशांति की स्थिति को प्रेरित करता है, परिस्थितियों के साथ असंतोष पैदा करता है, या लोगों को क्रोधित भी करता है। भाषण अक्सर उत्तेजक और चुनौतीपूर्ण होता है। यह पूर्वाग्रहों और पूर्वधारणाओं पर प्रहार कर सकता है और इसका गहरा अस्थिर प्रभाव हो सकता है क्योंकि यह किसी विचार की स्वीकृति के लिए दबाव डालता है। ..... हमारे संविधान में अधिक प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण के लिए कोई जगह नहीं है। विकल्प के लिए या तो विधायिकाओं, अदालतों, या प्रमुख राजनीतिक या सामुदायिक आधार द्वारा विचारों के मानकीकरण की ओर ले जाएगा। उक्त टिप्पणियां निश्चित रूप से अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन के संदर्भ में की गई थीं जो स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है लेकिन वे कम नहीं हैं।

(2) एस. सी. सी. 434 यशवंत सिन्हा बनाम। सीबीआई टीएचआर। इसके निदेशक [रंजन गोगोई, सीजेआई]

भारत के संदर्भ में प्रासंगिक; बेशक, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) के अधीन। हमें उद्धृत करने के लिए क्षमा की जा सकती है

डी जोंग बनाम में हुगीस, सी. जे. से एक और मार्ग। ओरेगन राज्य, (1937) 299 यू. एस. 353, स्वतंत्र भाषण के मौलिक महत्व पर जोर देने के लिए। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहाः द. समुदाय की सुरक्षा का अधिक महत्व

बल द्वारा हमारी संस्थाओं को उखाड़ फेंकने के लिए उकसाने और

हिंसा, स्वतंत्र राजनीतिक चर्चा के अवसर को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र भाषण, फेरेट्स और स्वतंत्र सभा के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने की आवश्यकता उतनी ही अधिक अनिवार्य है, ताकि सरकार लोगों की इच्छा के प्रति उत्तरदायी हो सके और यदि वांछित हो, तो परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीकों से प्राप्त किए जा सकें। इसी में गणराज्य की सुरक्षा निहित है, वही नींव है

संवैधानिक सरकार "।

यह सच है कि अक्सर प्रेस, चाहे व्यावसायिक कारणों से हो या अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण, अवांछनीय स्तर पर उतर जाता है और सकारात्मक सार्वजनिक शरारत का कारण बन सकता है, लेकिन कठिनाई इस तथ्य में निहित है, जिसे थॉमस जेफरसन ने मान्यता दी है कि इस स्वतंत्रता को "खोए बिना सीमित नहीं किया जा सकता है"। थॉमस जेफरसन ने कहा, "हालाँकि, यह एक बुराई है जिसका कोई उपाय नहीं है; हमारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है और इसे इसके बिना सीमित नहीं किया जा सकता है।

खो जाता है "। (डॉ. जे. क्यूरी को लिखे एक पत्र में, 1786)। यह स्पष्ट है कि "एक सक्षम, निःस्वार्थ, जन-उत्साही प्रेस, प्रशिक्षित के साथ।

सही जानने के लिए बुद्धि और ऐसा करने का साहस, संरक्षित कर सकते हैं

वह सार्वजनिक गुण जिसके बिना लोकप्रिय सरकार एक दिखावा और मजाक है। एक सनकी, भाड़े का, जनवादी प्रेस समय के साथ लोगों को खुद के आधार के रूप में तैयार करेगा। गणतंत्र के भविष्य को ढालने की शक्ति पत्रकारिता के हाथों में होगी

भावी पीढ़ियाँ ", जैसा कि जोसेफ पुलित्जर ने कहा था।

5. प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दे पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त विचारों को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है।

यॉर्क टाइम्स कंपनी बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका 'जिसमें मार्शल, जे।

"पेंटागन पेपर्स" नामक कुछ पत्रों के प्रतिबंध या प्रकाशन की मांग करने के लिए कार्यकारी सरकार में एक अधिकार को मान्यता देने के लिए मुख्य रूप से ई आधार है कि पहला संशोधन प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है 8 यू. एस. कोड § 793 प्रकाशन पर किसी भी प्रतिबंध पर विचार नहीं करता है।

जे एस 713 (1971)

19] 5 एस सी आर।

उक्त संहिता में निर्दिष्ट वस्तुओं या सामग्रियों का। 6 के बहुमत सेः 3 अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाशन पर निषेधात्मक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया

"पेंटागन पेपर्स" में इस आधार पर कि कांग्रेस ने स्वयं कार्यपालिका में ऐसी कोई शक्ति निहित नहीं की है, जो वह ऐसा कर सकती थी, अदालतें ऐसी अधिकारिता नहीं बना सकती हैं जो अनधिकृत न्यायिक कानून बनाने के बराबर हो सकती है जिससे शक्तियों के पृथक्करण के पवित्र सिद्धांत का उल्लंघन होता है। हम यह नहीं समझते कि कानून का उपरोक्त सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर कैसे और क्यों लागू नहीं होगा। सरकारी गोपनीयता अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है और किसी अन्य कानून में ऐसा कोई प्रावधान हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है जिसके द्वारा संसद ने सरकार की कार्यकारी शाखा को या तो गुप्त के रूप में चिह्नित दस्तावेजों के प्रकाशन को रोकने या ऐसे दस्तावेजों को किसी न्यायालय के समक्ष रखने की कोई शक्ति निहित की है, जिसे पक्षकारों से संबंधित कानूनी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कहा गया हो।

6. जहाँ तक विशेषाधिकार के दावे का संबंध है, बिल्कुल चेहरे पर

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 अप्रकाशित सार्वजनिक अभिलेखों से संबंधित है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, इन तीन दस्तावेजों को 'द हिंदू' अखबार के विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित। इसके अलावा, जैसा कि एस. पी. गुप्ता बनाम में माना गया है। भारत संघ 3 के खिलाफ प्रतिरक्षा का दावा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत प्रकटीकरण को अनिवार्य रूप से जनहित की कसौटी पर निर्णय दिया जाना चाहिए और खुद को संतुष्ट करने के लिए कि प्रकटीकरण की आवश्यकता से सार्वजनिक हित को खतरे में नहीं डाला जाता है, न्यायालय प्रश्नगत दस्तावेज़ का निरीक्षण भी कर सकता है, हालांकि उक्त शक्ति का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए। हालाँकि, वर्तमान मामले में इस तरह की कवायद आवश्यक नहीं होगी क्योंकि दस्तावेज़ सार्वजनिक क्षेत्र में होने के कारण और पूरे नागरिक की पहुंच और ज्ञान के भीतर होने के कारण, एक व्यावहारिक और सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण इस स्पष्ट निष्कर्ष पर ले जाएगा कि

न्यायालय के लिए उक्त दस्तावेज को पढ़ने और उस पर विचार करने से बचना या उसके साक्ष्य मूल्य और मूल्य को बंद करना एक अर्थहीन और पूरी तरह से व्यर्थ अभ्यास होगा। चूंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत प्रतिरक्षा का दावा स्पष्ट रूप से मान्य नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं

इस मामले में आगे और गहराई से विचार करना आवश्यक समझते हैं।

7. जिस तरह से विचाराधीन तीन दस्तावेजों को प्राप्त किया गया था और अदालत के समक्ष रखा गया था, उसके संबंध में विद्वान वकील द्वारा एक मुद्दा उठाया गया है। इस संबंध में, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, दस्तावेज़ 'द हिंदू' समाचार पत्र में विभिन्न विषयों पर प्रकाशित किए गए हैं।

8 ए. आई. आर. 1982 एस. सी., 149 यशवंत सिन्हा बनाम।

सीबीआई टीएचआर। इसके निदेशक [रंजन गोगोई, सीजेआई]

तिथियाँ। इसके अलावा, यह मानते हुए भी कि दस्तावेज़ों को उचित तरीके से प्राप्त नहीं किया गया है, उन्हें विचार से बाहर रखा जाना चाहिए। अदालत से? पूरन मल बनाम आयकर निदेशक (जांच), नई दिल्ली के मामले में इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि "साक्ष्य की स्वीकार्यता का परीक्षण इसकी प्रासंगिकता में निहित है, जब तक कि संविधान या अन्य में कोई स्पष्ट या अनिवार्य रूप से निहित निषेध न हो।

अवैध तलाशी या जब्ती के परिणामस्वरूप प्राप्त कानूनी साक्ष्य को बंद नहीं किया जा सकता है।

8. जहाँ तक मुख्य सूचना आयुक्त बनाम मणिपुर राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम का संबंध है, इस न्यायालय ने

अधिनियम के अधिनियमन के पीछे के उद्देश्य और उद्देश्य को निम्नलिखित शब्दों में देखने का अवसरः

" (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की) प्रस्तावना स्पष्ट रूप से बताएगी कि यह अधिनियम एक खुले कानून की अवधारणा पर आधारित है। समाज। जैसा कि इसकी प्रस्तावना से पता चलता है, इस अधिनियम को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था। यह स्पष्ट है कि संसद ने एक जानकार नागरिक के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम को लागू किया जिसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और सरकार और उसके उपकरणों को जवाबदेह बनाने में सूचना की पारदर्शिता महत्वपूर्ण है।

नागरिकों के कामकाज को जानने के अधिकार के साथ सरकारी प्रक्रिया इस तरह से संरक्षित करने के लिए

लोकतांत्रिक आदर्श की सर्वोच्चता "।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम (पहले से निकाली गई) की धारा 8 (2) में विचार किया गया है कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम में कुछ भी होने के बावजूद

सार्वजनिक क्षेत्र में, हम यह नहीं देखते हैं कि अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) के तहत संरक्षण सार्वजनिक हित की सेवा कैसे करेगा। ' ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 340 (2011) 15 एस. सी. सी., 1 [2019] 5 एस. सी. आर.

10. विद्वान वकील द्वारा एक सर्वव्यापी बयान दिया गया है

कि कुछ राज्य कार्रवाई हैं जो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं और जो राजनीतिक क्षेत्र के भीतर हैं। यह होगा उपहार

ऐसा मामला। दलीलों के अंतिम चरण में, विद्वान अटॉर्नी जनरल का कहना है कि अगर इस मामले को जीवित रखा जाता है, तो हमारे क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा को खतरे में डालने की क्षमता है। विद्वान महान्यायवादी इस प्रकार हमें सार्वजनिक नीति के विचारों के आलोक में इस मामले को सीमित रूप से खारिज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

11. हम इस संबंध में जो कुछ भी देखना चाहते हैं, वह एक पुनरावृत्ति है।

केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम में इस न्यायालय द्वारा पहले ही क्या कहा जा चुका था। केरल राज्य 1
1

" न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य वह बनाना नहीं है जिसे कभी-कभी कहा जाता है।

न्यायिक अल्पजनतंत्र, वस्त्र का अरिस्ततंत्र, गुप्त विधान,

या न्यायाधीश-निर्मित कानून। बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए लड़ने के लिए उचित मंच

विधायी प्राधिकरण जनमत और विधायी का होता है।

सभाएँ। इस तरह की प्रतियोगिता को न्यायिक को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

अखाड़ा। कि सभी संवैधानिक व्याख्याओं में राजनीतिक निहितार्थ हैं

शांत और निष्पक्षता में पहुंचना है अदालत कक्ष का वातावरण, जो न्यायाधीशों को देने के लिए

उनके फैसले की वैधता को शोरगुल से दूर रखना होगा

और राजनीति का विवाद और कि भाग्य में उतार-चढ़ाव

प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के लिए केवल अकादमिक हो सकते हैं

ब्याज। उनका प्राथमिक कर्तव्य संविधान को बनाए रखना है। और बिना किसी भय या पक्षपात के कानून और ऐसा करते हुए, वे

किसी भी राजनीतिक विचारधारा या आर्थिक सिद्धांत की अनुमति नहीं दे सकते,

जिसने निर्णय को रंग देने के लिए उनकी रुचि को पकड़ लिया होगा। '

(न्यायमूर्ति खन्ना-पैरा 1535)

12. उपरोक्त के आलोक में, हम इसे खारिज करना उचित समझते हैं

भारत संघ द्वारा उठाए गए प्रारंभिक आपत्तियों पर सवाल उठाते हुए पुनरीक्षण याचिकाओं की स्थिरता और हम मानते हैं और पुष्टि करते हैं कि पुनरीक्षण याचिकाओं पर तीन दस्तावेजों की सामग्री की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए उनकी योग्यता के आधार पर निर्णय लेना होगा।

जिसकी स्वीकार्यता, न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में, प्रतिवादियों द्वारा समीक्षा याचिकाओं में सवाल किए जाने की मांग की गई है। 1 1 एयर 1973 एससी 1461 यशवंत सिन्हा बनाम।

सीबीआई टीएचआर। यह निदेशक है

आदेश

के. एम. जोसेफ, जे.

1. मैंने विद्वान द्वारा इस मामले में प्रस्तावित आदेश को पढ़ लिया है।

मुख्य न्यायाधीश। हालांकि मैं निर्णय से सहमत हूं, मुझे लगता है कि निम्नलिखित कारण देना उचित है और इसलिए, सहमति आदेशः

2. मैं विद्वान प्रमुख द्वारा की गई टिप्पणियों से सहमत हूं।

महत्व के संबंध में न्याय जो इससे जुड़ा हुआ है

प्रेस की स्वतंत्रता। भारत में प्रेस ने इसमें बहुत योगदान दिया है

देश में लोकतंत्र को मजबूत करना। इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी

देश में एक जीवंत लोकतंत्र के निरंतर अस्तित्व के लिए खेलना।

यह निर्विवाद है कि प्रेस जिसमें से विशेष रूप से दृश्य मीडिया निकलता है

शक्ति का उपयोग करता है, जिसकी पहुंच असीमित प्रतीत होती है। जनसंख्या का कोई भी वर्ग इसके प्रभाव से अभेद्य नहीं है।

राजेन्द्र सेल बनाम। एम. पी. उच्च न्यायालय बी. आर. एसोसिएशन और अन्य

2005 (6) एस. सी. सी. 109, यह न्यायालय अवमानना के तहत एक मामले से निपट रहा है न्यायालय अधिनियम ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 31. 24 घंटे के वर्तमान समय में मीडिया की पहुंच

चैनल, दुनिया के लगभग हर नुक्कड़ पर है। इसके अलावा,

बड़ी संख्या में लोग जो दिखाई देता है उसे सही मानते हैं। मीडिया, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक।

(जोर दिया गया)

उसे यह समझना चाहिए कि उसके उपभोक्ता यह माँग करने के हकदार हैं कि

सूचना की वह धारा जो उससे बहती है, उसे सत्य के अलावा अन्य विचारों से अप्रदूषित रहना चाहिए।

3. मुझे लगता है कि स्वतंत्रता में कई तत्व शामिल हैं। ए मुफ्त

व्यक्ति को निडर होना चाहिए। पत्रकार द्वारा प्रिय मानी जाने वाली सभी या किसी भी चीज़ को खोने का डर हो सकता है। एक स्वतंत्र व्यक्ति पक्षपाती नहीं हो सकता है। पूर्वाग्रह कई रूपों में आता है। पक्षपात यदि लागू

होने वाले सिद्धांतों के अनुसार स्थापित किया जाता है, तो सार्वजनिक प्राधिकरणों के निर्णयों को दूषित करने के लिए पर्याप्त है। पक्षपात के खिलाफ नियम एक महत्वपूर्ण स्वयंसिद्ध सिद्धांत है जिसका न्यायाधीशों को पालन करना चाहिए। समान रूप से दृश्य मीडिया सहित प्रेस पक्षपाती नहीं हो सकता है और फिर भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। पक्षपात का तात्पर्य आम तौर पर विचारों या व्यक्तियों के प्रति एक पूर्व-स्वभाव से है, दोनों अभिव्यक्तियों को व्यापक शब्दों में समझा जाना चाहिए।

19] 5 एस सी आर।

यह व्यक्तिगत, राजनीतिक या वित्तीय विचारों से उत्पन्न हो सकता है।

पक्षपातपूर्ण जानकारी प्रसारित करना, सच्ची स्वतंत्रता के अभाव को दर्शाता है। वास्तव में, यह लोगों के महत्वपूर्ण अधिकार पर पूरी तरह से अनुचित हमला है।

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत सच्ची जानकारी जो बदले में नागरिकों के कई अन्य अधिकारों का भी आधार है। वास्तव में, भारत में प्रेस का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत नागरिकों के अधिकार से अधिक नहीं है और इसी प्रावधान से इसका पता चलता है। विचारों के कथित मुक्त बाजार में एक समझदार जनता द्वारा सत्य को पहचाने जाने की क्षमता मीडिया हाउसों सहित प्रेस को निर्विवाद स्वतंत्रता देने का अधिकांश आधार है। यदि प्रेस द्वारा जिम्मेदारी की गहरी भावना के बिना स्वतंत्रता का आनंद लिया जाता है, तो यह लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। कुछ वर्गों में पक्षपात की परेशान करने वाली प्रवृत्ति दिखाई देती है। व्यावसायिक हितों और राजनीतिक निष्ठाओं को नियंत्रित करने से सूचनाओं के निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से शुद्धिकरण का कर्तव्य समाप्त होता प्रतीत होता है। इस संबंध में 'द इंडियन मीडिया' नामक एक लेख में, जो 'बियॉन्ड द लाइन्स' शीर्षक के तहत आत्मकथा से जुड़ा हुआ है, अनुभवी पत्रकार स्वर्गीय श्री कुलदीप नैय्यर ने निम्नलिखित विलाप व्यक्त किया हैः

" एक पेशे के रूप में पत्रकारिता ने बहुत कुछ बदल दिया है यह हमारे समय में था। मुझे निराशा की तीव्र भावना महसूस होती है, न केवल

क्योंकि यह गुणवत्ता और दिशा में खराब हो गया है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि

मुझे नहीं लगता कि पत्रकार मूल्यों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं

अभ्यास किया। समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों का प्रसार

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसने सामग्री की गुणवत्ता को प्रभावित किया है, विशेष रूप से रिपोर्टिंग। बहुत सारे लोग एक ही स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। क्या?

मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस यह है कि संपादकीय प्रधानता का त्याग कर दिया गया है व्यावसायीकरण और निहित स्वार्थों में परिवर्तन। बहुतों को देखकर दुख होता है।

नौकरानी बने रहने के लिए पीछे की ओर झुकते पत्रकार

एक ओर मालिकों का और दूसरी ओर प्रतिष्ठान का

अन्य। यह हमारी आदत से बहुत अलग है "।

4. इस बारे में प्रोत्साहन कि इसके वास्तविक लाभार्थी कौन हैं

बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस को टाइम v में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में व्यक्त किया गया था। हिल 385 यू. एस. 374 निम्नलिखित शब्दों मेंः

प्रेस के लाभ के लिए नहीं हैं जितना कि लाभ के लिए हैं सब लोग "।

(जोर दिया गया)

यशवंत सिन्हा बनाम। सीबीआई टीएचआर। इसके निदेशक [के. एम. जोसेफ, जे.]

5. इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड और

आरएस वी। भारत संघ 1985 (1) एस. सी. सी. 641, इस न्यायालय ने

पंखों के अवलोकनः

चर्चा की स्वतंत्रता में जनहित (का

जो प्रेस की स्वतंत्रता का एक पहलू है) आवश्यकता कि एक लोकतांत्रिक समाज के सदस्यों को होना चाहिए

पर्याप्त रूप से सूचित है कि वे समझदारी से प्रभावित कर सकते हैं ऐसे निर्णय जो स्वयं को प्रभावित कर सकते हैं। (लार्ड साइमन के अनुसार

ग्लेसडेल इन अटॉर्नी-जनरल बनाम टाइम्स न्यूजपेपर्स लिमिटेड

(1973) 3 सभी ईआर 54)। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसा कि सीखा गया है लेखकों ने देखा है कि सेवा करने के लिए चार व्यापक सामाजिक उद्देश्य हैंः

((i) यह व्यक्ति को आत्म-पूर्ति प्राप्त करने में सहायता करता है, (ii) इसमें सहायता करता है

सत्य की खोज, (iii) यह किसी व्यक्ति की क्षमता को मजबूत करती है।

निर्णय लेने में भाग लेने में, और (iv) यह एक

तंत्र जिसके द्वारा एक स्थापित करना संभव होगा स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन के बीच उचित संतुलन। सभी

समाज के सदस्यों को अपनी मान्यताओं को बनाने में सक्षम होना चाहिए और उन्हें दूसरों के साथ स्वतंत्र रूप से संवाद करें। कुल मिलाकर, मौलिक

यहाँ शामिल सिद्धांत लोगों का जानने का अधिकार है।

6. न्यायमूर्ति डगलस के बुद्धिमान शब्द उनकी असहमति में पाए जाते हैं

डेनिस वी. संयुक्त राज्य अमेरिका 341 यू. एस. 494 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लक्ष्य और इसके परिणामस्वरूप एक स्वतंत्र प्रेस की भूमिका की याद दिलाता है। द.

यह नीचे लिखा हैः

“ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने एक उच्च स्थान पर कब्जा कर लिया है क्योंकि

स्वीकृति, पूर्ण और मुक्त चर्चा के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा करें झूठ को उजागर करता है और वे कुछ अनुयायियों को प्राप्त करते हैं। पूर्ण और मुफ़्त

जिन विचारों से हम नफरत करते हैं, उनकी चर्चा भी हमारे विचारों के परीक्षण को प्रोत्साहित करती है। अपने पूर्वाग्रह और पूर्वधारणाएँ। पूर्ण और स्वतंत्र चर्चा होती रहती है

एक ऐसा समाज जो तनावों के लिए स्थिर और अप्रस्तुत हो जाए

और उपभेद जो सभी सभ्यताओं को फाड़ने का काम करते हैं

अलग-अलग।

पूर्ण और स्वतंत्र चर्चा वास्तव में हमारा पहला लेख रहा है।

आस्था। हमने अपनी राजनीतिक व्यवस्था की नींव इसी पर रखी है। यह हुआ है

प्रत्येक धार्मिक, राजनीतिक, दार्शनिक, आर्थिक और हमारे बीच जातीय समूह। हम इससे बचने के लिए इस पर भरोसा करते हैं

जो सस्ता और गलत है उसे अपनाना; हमने आम [2019] 5 एस. सी. आर. पर भरोसा किया है।

हमारे लोगों की यह भावना कि वे हमारी प्रतिभा के प्रति सच्चे सिद्धांत को चुनें और बाकी को अस्वीकार करें। यह एकमात्र उत्कृष्ट सिद्धांत रहा है जिसने हमारे संस्थानों को स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बनाया है। हमने तिरस्कृत व्यक्ति को दबाने की स्वतंत्रता को अधिक महंगा माना है।

उन्हें अपनी प्लीहा को बाहर निकालने देने की तुलना में अल्पसंख्यक। हम सब सबसे ऊपर राजनीतिक सेंसर से डरते हैं। हम एक ऐसी भूमि चाहते थे जहाँ हमारे लोग सभी विविध पंथों और संस्कृतियों से परिचित हो सकें। दुनिया
से "।

7. भारत में क्राउन विशेषाधिकार से संबंधित कानून जैसा कि मूल रूप से था

इंग्लैंड में शैली मुख्य रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 नामक एक वैधानिक प्रावधान में अंतर्निहित है। सचिव के शपथ पत्र में उक्त अधिनियम की धारा 124 पर भी भरोसा किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 124 इस प्रकार हैः

" 124. आधिकारिक संचार। —किसी भी लोक अधिकारी को आधिकारिक रूप से उसे किए गए संचार का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

विश्वास, जब वे मानते हैं कि सार्वजनिक हितों को नुकसान होगा

प्रकटीकरण द्वारा "।

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि धारा 124 लोक अधिकारियों तक ही सीमित है और धारा 124 के तहत भी निर्णायक पहलू यह है - लोक हित का संरक्षण।

8. धारा 162 विशेषाधिकार द्वारा कवर किए गए दस्तावेजों के निरीक्षण के पहलू से संबंधित है। इंग्लैंड में विशेषाधिकार से संबंधित कानून पूरी तरह से अदालत द्वारा बनाया गया है। यह विवाद में नहीं हो सकता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत विशेषाधिकार के दावे को सार्वजनिक नीति पर आधारित होने के कारण माफ नहीं किया जा सकता है (इस संबंध में मैसर्स में इस न्यायालय के फैसले को देखें। डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लि. बनाम भारत संघ और अन्य 1988

(2) पृष्ठ 327 पर एस. सी. सी. 299)। विशेषाधिकार के दावे का आधार केवल जनहित है और हो सकता है।

9. यू. पी. राज्य में इस न्यायालय के निर्णय में v. राज नारायण; ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 865, मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे की ओर से बोलते हुए

संविधान पीठ ने टिप्पणी कीः

" न्यायालय स्वयं ही ऐसे साक्ष्य को बाहर कर देगा जिसका प्रस्तुत करना जनहित के विपरीत है। यह जनहित में है कि गोपनीयता की रक्षा की जाएगी। इसका कारण यह है कि ऐसे दस्तावेज अपनी सामग्री के

कारण विशेषाधिकार के अधीन हो जाते हैं। गोपनीयता विशेषाधिकार का प्रमुख नहीं है। यह ध्यान में रखने योग्य विचार है। ऐसा नहीं है कि सामग्री में ऐसी सामग्री है जो वह चाहता है-यशवंत सिन्हा बनाम।

सीबीआई टीएचआर। इसके निदेशक [के. एम. जोसेफ, जे.]

यह खुलासा करना राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक होगा, बल्कि यह कि दस्तावेज़ ऐसे वर्ग के होंगे जो सुरक्षा की मांग करते हैं।

(पी. पर 1973 ए. सी. 388 (ऊपर) देखें। 40) . इसे स्पष्ट करने के लिए,

दस्तावेजों का वर्ग जिसमें कैबिनेट के कागजात शामिल होंगे, विदेशी कार्यालय प्रेषण, राज्य की सुरक्षा से संबंधित कागजात और उच्च स्तरीय अंतर-विभागीय कार्यवृत्त।

10. मैं एस. पी. ए बनाम में निहित निम्नलिखित चर्चा का भी उल्लेख कर सकता हूं। भारत संघ 1981 (पूरक) एस. सी. सी. 87 जिसे भी न्यायपीठ ने मेसर्स में जोड़ दिया है। डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लि. बनाम यूनियन डाय और अन्य 1988 (2) एस. सी. सी. 299।

राज नारायण का मामला 1975 (4) एस. सी. सी. 428 कि ऐसे दस्तावेजों के वर्ग हो सकते हैं जिनके सार्वजनिक हित की आवश्यकता होती है, उनका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, चाहे उन वर्गों के व्यक्तिगत दस्तावेजों में कुछ भी हो या दूसरे शब्दों में, कानून मानता है कि ऐसे दस्तावेजों के वर्ग हो सकते हैं जो सार्वजनिक हित में प्रकटीकरण से मुक्त होने चाहिए। दस्तावेजों का एक ऐसा वर्ग है जिसे वर्षों से कानून द्वारा सार्वजनिक हित में प्रकटीकरण से संरक्षित किए जाने के हकदार के रूप में मान्यता दी गई है और उस वर्ग में ऐसे दस्तावेज होते हैं जो उचित कार्यप्रणाली के लिए वास्तव में आवश्यक हैं। सार्वजनिक सेवा को प्रकटीकरण से रोकने के लिए। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को उनकी सामग्री के कारण नहीं बल्कि उस वर्ग के कारण प्रकटीकरण से प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है जिससे वे संबंधित हैं। इस वर्ग में कैबिनेट कार्यवृत्त, विभागों के प्रमुखों के बीच चर्चा के कार्यवृत्त, उच्च स्तरीय अंतर-विभागीय संचार और विदेशों में राजदूतों से प्रेषण शामिल हैं (कॉनवे बनाम। रिम्मर, [1968] अपील मामले 910 पीपी पर। 952 , 973 , 979 , 987 और 993 और रेग वी। लुईस जस्टिस, एक्स पार्टी होम

सचिव, [1973] ए. सी. 388 412 पर, कैबिनेट को प्रस्तुत करने की तैयारी के उद्देश्य से अस्तित्व में लाए गए कागजात (लैन्यन के माध्यम से)

प्रॉपर्टी लिमिटेड v. राष्ट्रमंडल, 129 राष्ट्रमंडल कानून

रिपोर्ट 650) और वास्तव में कोई भी दस्तावेज जो उच्च स्तर पर सरकारी नीति के निर्माण से संबंधित है (वीडियो री। ग्रॉसवेनर

होटल, लंदन [1964] 3 ऑल ई. आर. 354 (सी. ए.) "।

डॉयपैक (ऊपर) में न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 46. इसलिए, मंत्रिमंडल के कागजात अपनी सामग्री के कारण नहीं बल्कि उस वर्ग के कारण प्रकटीकरण से संरक्षित हैं जिसके लिए वे [2019] 5 एस. सी. आर.

शामिल हैं। हमें ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल के कागजातों में मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करने की तैयारी के उद्देश्य से अस्तित्व में लाए गए कागजात भी शामिल हैं। जेफ्री विल्सन के मामले और सामग्री देखें।

संवैधानिक और प्रशासनिक कानून, द्वितीय संस्करण। , पृष्ठ 462 से

विचार और उसकी चर्चाओं और उसके निष्कर्षों को दर्ज करने वाले कार्यवृत्त। इन कागजातों के अनधिकृत संचार पर आपराधिक प्रतिबंध लागू होने चाहिए। इस संबंध राज्य बिहार बनाम में देखें। कृपालु शंकर, ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1554 पृष्ठ 1559 पर और बचित्तर सिंह बनाम का निर्णय भी। पंजाब राज्य [1962] पूरक। 3 एससीआर 713। संदर्भ

हवा में लॉर्ड डेनिंग की टिप्पणियों के लिए भी बनाया जा सकता है कनाडा और अन्य बनाम। राज्य सचिव, [1983] 1 सभी ईआर 161

180 "पर।

11. वास्तव में, विशेषाधिकार से संबंधित कानून की नींव स्पष्ट सिद्धांतों में निहित है और साथ ही गलत जानकारी वाले सिद्धांत की संभावना भी है। आधार बनाने वाली स्पष्टता के बारे में मुझे एस. पी. गुप्ता के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित राय मिलती है।

" हम इन विद्वान न्यायाधीशों से सहमत हैं कि स्पष्टता और स्पष्टता की आवश्यकता इस वर्ग के दस्तावेजों के प्रकटीकरण के खिलाफ पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करने को उचित नहीं ठहरा सकती है, लेकिन जैसा कि गिब्स ने बताया है,

सेंकी बनाम में एसीजे। व्हिटलम (1978) 21 ऑस्ट्रेलियाई एल. आर. 505: 53 , यह मान लेना पूरी तरह से अवास्तविक नहीं होगा कि "कुछ मामलों में कम से कम मंत्रियों और क्राउन के सेवकों के बीच संचार अधिक स्पष्ट और स्पष्ट हो सकता है यदि संबंधित लोग मानते हैं कि वे प्रकटीकरण से संरक्षित हैं" क्योंकि सभी क्राउन सेवकों से "कठोर सामग्री" से बने होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए स्पष्टता और स्पष्टता की आवश्यकता पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

यह निर्धारित करने में एक कारक के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या संतुलन पर, सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के पक्ष में है या इसके खिलाफ (वीडियोः नीलसन बनाम, लॉफर्न में लॉर्ड डेनिंग की टिप्पणियाँ (1981) 1 पी. 835 "पर सभी ई. आर. 829।

12. विशेषाधिकार के दावे का समर्थन करने के लिए अन्य आधार के बारे में इस संभावना के बारे में कि प्रकटीकरण से गलत-सूचित आलोचना होगी-यशवंत सिन्हा बनाम।

सीबीआई टीएचआर। इसके निदेशक [के. एम. जोसेफ, जे.]

सरकारी मशीन के सुचारू संचालन को जोड़ते हुए, मैं पैराग्राफ 72 में एस. पी. गुप्ता के मामले में गिरावट देख रहा हूं जो इस प्रकार हैः

सरकार लोगों का विश्वास जीतने की उम्मीद कर सकती है। यदि लोगों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और सरकार की हर कार्रवाई ईमानदारी से की जाती है और केवल जनहित से प्रेरित होती है, तो "गलत जानकारी या आकर्षक सार्वजनिक या राजनीतिक आलोचना" का कोई डर नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि लोकतंत्र में भी उच्च स्तर की सरकार कुछ हद तक गोपनीयता के बिना काम नहीं कर सकती है। कोई मंत्री या वरिष्ठ लोक सेवक ऐसा नहीं कर सकता। प्रभावी ढंग से अपने कार्यालय की जिम्मेदारी का निर्वहन करें यदि प्रत्येक

नीतियों को तैयार करने के लिए तैयार किए गए दस्तावेज़ को सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। इसलिए यह राज्य के हित में है और लोक सेवा के उचित संचालन के लिए आवश्यक है कि

इस वर्ग के दस्तावेजों को कानून द्वारा कुछ सुरक्षा प्रदान की जाए। इस संरक्षण का क्या उपाय है जिस पर हम तुरंत चर्चा करेंगे?

न्यायालय के अनुच्छेद को पैरा 73 में निर्धारित किया गया हैः

" 73. हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी धारा 123 के तहत किसी दस्तावेज़ के प्रकटीकरण पर कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो अदालत के निर्धारण के लिए दो सवाल उठते हैं, अर्थात्, क्या दस्तावेज़ राज्य के मामलों से संबंधित है और क्या इसका प्रकटीकरण [2019] 5 एस. सी. आर.

न्यायालय के समक्ष विशेष मामले में, जनहित के लिए हानिकारक होगा। इन दो प्रश्नों पर अपने निर्णय तक पहुँचने में न्यायालय को लोक हित के दो प्रतिस्पर्धी पहलुओं को संतुलित करना होगा, क्योंकि दस्तावेज़ राज्य के मामलों से संबंधित होने के कारण, इसके प्रकटीकरण से राज्य के हित को कुछ नुकसान होगा या

उचित

लोक सेवा के कार्यकरण और दूसरी ओर यदि इसका खुलासा नहीं किया जाता है, तो गैर-प्रकटीकरण अदालत से एक भौतिक दस्तावेज को वापस रखते हुए न्याय के प्रशासन को विफल कर देगा। जनहित के दो पहलू एक-दूसरे से टकराते हैं जिनमें से न्यायालय को यह तय करना होता है कि कौन सा प्रबल है। यह दृष्टिकोण

कॉनवे बनाम में लॉर्ड रीड के निर्णय के एक अंश में इस समस्या के बारे में सराहनीय रूप से बताया गया है। रिम्मर 1968 एसी 910:

यह सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है कि दो प्रकार के लोक होते हैं।

ब्याज जो टकराव का कारण बन सकता है। ऐसा जनहित है जो नुकसान पहुंचाता है प्रकटीकरण द्वारा राष्ट्र या लोक सेवा के लिए नहीं किया जाएगा

कुछ दस्तावेजों का, और यह जनहित है कि

दस्तावेज़ों को रोकना जो न्याय होने पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए करने के लिए। ऐसे कई मामले हैं जहाँ प्रकृति

जो राष्ट्र या जनता के लिए किया जा सकता है सेवा का चरित्र इतना गंभीर है कि कोई अन्य रुचि नहीं है, जनता

या निजी, उस पर हावी होने की अनुमति दी जा सकती है। के संबंध में

ऐसे मामलों में यह कहना उचित होगा, जैसा कि लॉर्ड साइमन ने किया था, कि विचाराधीन दस्तावेज़ के उत्पादन का आदेश, डाल देगा

ऐसे मामले जहां लोक सेवा को संभावित नुकसान बहुत अधिक है कम और वहाँ कोई सोचेगा कि वह संतुलन बनाना उचित होगा

इसमें शामिल सार्वजनिक हित।

अदालत को प्रशासनिक या कार्यकारी पक्ष पर सार्वजनिक हित के नुकसान को संतुलित करना होगा जो न्यायिक पक्ष पर सार्वजनिक हित के नुकसान के खिलाफ दस्तावेज़ के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप होगा जो दस्तावेज़ के गैर-प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप होगा, हालांकि कार्यवाही के लिए प्रासंगिक है। [इसका वीडियो रेग, v में लॉर्ड पियर्सन की टिप्पणियाँ। लुईस जे. जे. पूर्व गृह सचिव 1973 ए. सी. 388 रिपोर्ट के पृष्ठ 406 पर]। न्यायालय को यह तय करना होता है कि लोक हित का कौन सा पहलू प्रमुख

है या दूसरे शब्दों में, क्या लोक हित जिसके लिए आवश्यक है कि दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, लोक हित से अधिक है कि एक अदालत यशवंत सिन्हा बनाम।

सीबीआई टीएचआर। इसके निदेशक [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपने कार्य के निष्पादन में न्याय की पहुंच से वंचित नहीं किया जाना चाहिए प्रासंगिक साक्ष्य। इस प्रकार न्यायालय को संतुलन बनाना होता है।

अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि, संतुलन पर, प्रकटीकरण दस्तावेज़ से सार्वजनिक हित को अधिक नुकसान होगा

अदालत ने पाया कि प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक हितों के बीच संतुलन दूसरे तरीके से झूठ बोलता है, अदालत के प्रकटीकरण का आदेश देगा

दस्तावेज़। के दो प्रतिस्पर्धी पहलुओं के बीच यह संतुलन

न्यायालय द्वारा जनहित का पालन किया जाना चाहिए, भले ही

दस्तावेज़ के प्रकटीकरण पर आपत्ति जमीन पर ली जाती है

कि यह दस्तावेजों के एक वर्ग से संबंधित है जो संरक्षित हैं

उनकी सामग्री चाहे जो भी हो, क्योंकि कोई पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं है

ऐसे वर्ग से संबंधित दस्तावेजों के लिए..

(जोर दिया गया)

13. मैं देख रहा हूँ कि विशेषाधिकार का दावा निम्नलिखित में उत्पन्न हो सकता है -

परिस्थितियाँ। विशेषाधिकार के लिए दावा कानून की एक प्रणाली में उत्पन्न हो सकता है जहां इस तरह के दावे के लिए कोई वैधानिक ढांचा प्रदान नहीं किया गया है। यह हो चुका है यूनाइटेड किंगडम में स्थिति माना जाता है। भारत में जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, धारा 124 और धारा 162 के साथ पठित साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 जनहित विशेषाधिकार के दावे के लिए वैधानिक आधार प्रदान करती है। दस्तावेजों को जबरन पेश करने के कानून से संबंधित अगला पहलू संविधान के अनुच्छेद 74 (2) में निहित संवैधानिक प्रतिबंध है। अनुच्छेद 74 (2) इस प्रकार हैः

" 74 (2) सवाल यह था कि क्या कोई सलाह है और यदि है तो क्या?

मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए प्रस्ताव की जांच नहीं की जाएगी।

कोई भी अदालत "।

इसलिए, अदालत के लिए इसकी जांच करने की अनुमति नहीं होगी

सलाह जो मंत्रिमंडल द्वारा दी जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उठाए गए इस मामले में आपत्ति केवल धारा 8 (1) (ए) पर आधारित है। मैं धारा 8 (1) (i) पर ध्यान देता हूं जो निम्नलिखित रूप में प्रदान करती हैः

" 8 (1) (i) मंत्रिमंडल के कागजात जिसमें विचार-विमर्श के रिकॉर्ड शामिल हैं।

मंत्रिपरिषद, सचिव और अन्य अधिकारी;

बशर्ते कि मंत्रिपरिषद के निर्णय, कारण

5 एस. सी. आर. और वह सामग्री जिसके आधार पर निर्णय [2019] लिए गए थे।

निर्णय लेने के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा, और

मामला पूरा हो गया है, या खत्म हो गया हैः

बशर्ते कि वे मामले जो इसके अंतर्गत आते हैं

इस धारा में निर्दिष्ट छूटों का खुलासा नहीं किया जाएगा।

उक्त प्रावधान को लागू नहीं किया गया है और न ही अनुच्छेद 74 (2) के प्रभाव को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

मामला।

14. शुरू किए गए परिवर्तन पर तुरंत ध्यान देना उचित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।

धारा 2 (i) 'अभिलेख' को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित करती हैः

" 2 ((i) "अभिलेख" में शामिल हैं

((i) कोई भी दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल; ((ii) किसी दस्तावेज़ की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश और प्रतिकृति;

((ग) इस प्रकार की छवि या छवियों का कोई पुनरुत्पादन

माइक्रोफिल्म

(चाहे बड़ा किया गया हो या नहीं) और

((iv) कंप्यूटर या किसी अन्य द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।

उपकरण; "

धारा 2 (जे) में 'सूचना का अधिकार' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" (जे) "सूचना के अधिकार" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार जो किसी भी जनता के पास या उसके नियंत्रण में है।

((i) कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण; ((ख) टिप्पणियाँ, उद्धरण या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ लेना या

अभिलेख;

((ग) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर में या किसी अन्य में संग्रहीत की जाती है।

उपकरण; "यशवंत सिन्हा बनाम। सीबीआई टीएचआर। इसके निदेशक [के. एम. जोसेफ, जे.]

सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया है, बशर्ते कि -

धारा 3 के तहत अधिनियम के प्रावधान।

15. धारा 8 सूचना के प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है।

8 (1) (ए) पर जो हमारे सामने दबाया जाता है वह इस प्रकार हैः

" 8. सूचना के प्रकटीकरण से छूट-(1) इसके बावजूद

इस अधिनियम में निहित कुछ भी, देने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी

कोई भी नागरिक,

((क) ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य के सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा या किसी अपराध को उकसाने का कारण बनेगा।

इसके बाद धारा 8 (2) आती है। वह इस प्रकार हैः

" 8 (2) सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 में कुछ भी होने के बावजूद और न ही इसके अनुसार किसी भी छूट की अनुमति है -

उप-धारा (1), एक सार्वजनिक प्राधिकरण तक पहुंच की अनुमति दे सकता है

जानकारी, यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित नुकसान से अधिक है

संरक्षित हितों के लिए "।

16. इससे पहले कि मैं धारा (8) में अधिक ध्यान दूं, यह उचित है कि मैं भी

ई धारा 22 जो निम्नलिखित रूप में प्रदान करती हैः

" 22. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें। - इस अधिनियम के प्रावधान

इसके साथ कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभाव होगा

सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 और किसी अन्य कानून में निहित

बल में समय या सद्गुण द्वारा प्रभाव रखने वाले किसी भी उपकरण में इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून का।

17. मैं अंत में धारा 24 पर ध्यान दे सकता हूं।

" 24 (1) . इस अधिनियम में निहित कुछ भी खुफिया पर लागू नहीं होगा।

और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षा संगठन, केंद्र सरकार या किसी अन्य सरकार द्वारा स्थापित संगठन

ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई जानकारीः

बशर्ते कि आरोपों से संबंधित जानकारी भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन को इसके तहत बाहर नहीं रखा जाएगा।

यह उपखंडः बशर्ते कि जानकारी के मामले में

मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में मांग की गई है,

अनुमोदन के बाद ही जानकारी प्रदान की जाएगी

केंद्रीय सूचना आयोग, और किसी भी चीज़ के बावजूद [2019] 5 एस. सी. आर.

धारा 7 में निहित ऐसी जानकारी अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।

18. धारा 22 और 24 पीछे की ओर लाते हैं। मैं नई व्यवस्था में उनके महत्व को उजागर कर सकता हूं जिसकी शुरुआत की गई है

संसद। संसद ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम, वर्ष 1923 में बनाया गया एक कानून और उस मामले के लिए अन्य बातों के साथ-साथ आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद उस समय लागू कोई अन्य कानून लागू रहेगा। धारा 24 का पहला प्रावधान वास्तव में अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से निकाय राजनीति के दृष्टिकोण में एक प्रतिमान परिवर्तन को चिह्नित करता है कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों का उल्लंघन पूरी तरह से असंगत है और इसलिए लोकतंत्र के बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों, कानून के शासन और संवैधानिक नैतिकता के लिए अभिशाप है। परंतुक घोषणा करता है कि भले ही जानकारी के साथ उपलब्ध हो खुफिया और सुरक्षा संगठन आम तौर पर अधिनियम के तहत विचार की गई खुली प्रकटीकरण व्यवस्था के दायरे से बाहर हैं, अगर जानकारी भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है तो ऐसी जानकारी अधिनियम के तहत मांगी जाने के लिए बहुत अधिक उपलब्ध है। किसी देश का आर्थिक विकास सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के उच्चतम स्तर की प्राप्ति के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों में, गरीबी सही मायने में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। वास्तव में, मानवाधिकारों का उल्लंघन अक्सर भ्रष्टाचार के कारण होता है। हालाँकि, कानून देने वाले ने वास्तव में इससे निपटा है

भ्रष्टाचार और मानवाधिकार अलग से। इसलिए मैं इस पर और कुछ नहीं कहूंगा।

19. धारा (8) पर वापस लौटते हुए यह स्पष्ट है कि संसद ने

वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने का इरादा है और पारदर्शिता और खुलेपन के उच्चतम स्तर को लागू करने की मांग की है। सूचना का अधिकार अधिनियम के पारित होने के साथ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत नागरिकों को अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार, जिसे स्वयं व्यापक के रूप में मान्यता दी गई है, को कई अधिकार दिए गए हैं अर्थ। अधिनियम की धारा 8 (2) एक कानूनी क्रांति को प्रकट करती है जिसे इस प्रकार पेश किया गया है कि धारा 8 की उप धारा (1) या आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत घोषित छूटों में से कोई भी सूचना तक पहुंच के रास्ते में नहीं आ सकती है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित हो।

छाया, संरक्षित हितों को नुकसान। 20. यह सच है कि धारा 8 (1) (ए) के तहत ऐसी जानकारी जिसका खुलासा भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा,

सुरक्षा और रणनीतिक सुरक्षा और रणनीतिक वैज्ञानिक या आर्थिक यशवंत सिन्हा बनाम।

सीबीआई टीएचआर। इसके निदेशक [के. एम. जोसेफ, जे.]

राज्य के हित, विदेशी राज्य के साथ संबंध या किसी अपराध को उकसाने वाली जानकारी को आम तौर पर प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी जाती है, लेकिन ऐसे मामलों के संबंध में भी संसद ने कानून को इस तरह से आगे बढ़ाया है जिसे केवल इस सिद्धांत को मान्यता देकर नाटकीय के रूप में वर्णित किया जा सकता है कि सूचना के प्रकटीकरण को केवल सार्वजनिक हित को खतरे में डालने के आधार पर ही अस्वीकार किया जा सकता है। क्या?

दिलचस्प बात यह है कि धारा 8 (2) स्वीकार करती है कि निरंकुशता नहीं हो सकती है।

कि अधिक से अधिक लाभ प्रबल होना चाहिए, हालांकि कम नुकसान की कीमत पर अभी भी अवसर दिया जा रहा है। मैं वास्तव में कानून में कट्टरपंथी विचलन को पहचानने में विफल रहूंगा जो धारा 8 (2) में व्यक्त किया गया है यदि मैं उस कानून की भी तुलना नहीं करता जो वास्तव में इस अदालत द्वारा इस अदालत के फैसलों में निर्धारित किया गया था, जिसे मैंने स्वीकार किया है। विशेषाधिकार से संबंधित कानून के तहत दस्तावेजों के दो वर्ग हैं जो आमतौर पर विशेषाधिकार का आधार बनते हैं। पहली श्रेणी में, विशेषाधिकार का दावा विशेष दस्तावेजों की सामग्री के आधार पर किया जाता है। दूसरा शीर्ष जिसके तहत आमतौर पर विशेषाधिकार का दावा किया जाता है, वह यह है कि दस्तावेज़ एक ऐसा दस्तावेज़ है जो दस्तावेजों के एक वर्ग में आता है जो इसे प्रकटीकरण और पेश करने से सुरक्षा का हकदार बनाता है। जब कोई दस्तावेज़ ऐसे वर्ग में आता है, तो आम तौर पर अदालतों को बताया जाता है कि यह पर्याप्त है और अदालत सामग्री पर विचार नहीं कर सकती है। जब उदाहरण के लिए राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित मामले में विशेषाधिकार का दावा किया गया था, पारंपरिक रूप से, इंग्लैंड और भारत दोनों में अदालतों ने माना है कि ऐसे दस्तावेज दस्तावेजों के वर्ग में आते हैं जो इसे पेश करने से सुरक्षा का हकदार बनाते हैं। (इस आदेश का अनुच्छेद '9' देखें)। आर. टी. आई. अधिनियम ने धारा 8 (2) के माध्यम से नागरिकों को जानकारी मांगने का अधिकार देकर एक अमूल्य अधिकार प्रदान किया है। यहां तक कि देश की सुरक्षा और विदेशी राज्य के साथ संबंध से संबंधित मामलों के संबंध में भी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जानकारी केवल पूछने के लिए नहीं दी जाती है। आवेदक को यह स्थापित करना चाहिए कि ऐसी जानकारी को रोकने से इसका खुलासा करने से अधिक नुकसान होता है।

19] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. यह भी विचार करना आवश्यक हो सकता है कि सुरक्षा और संबंध से संबंधित मामले में प्रकटीकरण का आधार क्या हो सकता है। विदेशी राज्य के साथ। इसका उत्तर धारा 8 (2) में निहित है और वह जनहित है। न्याय का अधिकार अपरिवर्तनीय है। यह अपरिहार्य है। अन्य हितों पर इसने जो मांगें की हैं, वे इतनी भारी हैं कि यह सभी सभ्य राष्ट्रों की नींव बनाती हैं। कानून का विकास स्वयं एक पूरी तरह से विकसित राष्ट्र की एक अनिवार्य पहचान के रूप में न्याय के अधिकार की मान्यता पर आधारित है।

22. संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने के लक्ष्य के रूप में घोषित करती है। प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रशासन की एक निष्पक्ष और प्रभावी प्रणाली प्रदान करे।

न्याय। न्यायिक समीक्षा, वास्तव में, संविधान की एक बुनियादी विशेषता के रूप में मान्यता प्राप्त है। अधिनियम की धारा 24 भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ निरंतर धर्मयुद्ध से जुड़े महत्व पर भी प्रकाश डालती है। न्याय वितरण प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामग्री के आधार पर मामले को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए एक पक्ष की क्षमता है।

अपवादों के अधीन यह बिना किसी संदेह के तय किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति आपराधिक कानून को लागू कर सकता है। हालाँकि यह समान रूप से निर्विवाद है कि अप्रतिरोध्य प्रतीत होने वाली बाधाओं में से एक वादी चेहरे हैं

साक्ष्य और अधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रासंगिक साक्ष्य के साथ मामले को साबित करने की क्षमता पर सीमाएँ। इस प्रकार साक्ष्य को सुरक्षित करने की क्षमता सत्य और न्याय की जीत सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए यह अनिवार्य है कि धारा 8 (2) को उक्त संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विशेषाधिकार की ढाल पर संचालन पर इसका प्रभाव स्पष्ट है।

23. यह स्पष्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, एक नागरिक आर. टी. आई. की धारा 8 (2) के तहत दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है। कानून बनाएँ, भले ही मामला किसी विदेशी राष्ट्र के साथ सुरक्षा या संबंधों से संबंधित हो, अगर उसके तहत कोई मामला बनाया जाता है। यदि ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो निश्चित रूप से विशेषाधिकार का दावा झूठ नहीं बोल सकता है।

24. विशेषाधिकार की बात करें तो यह सच हो सकता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह समान रूप से सच है कि कोई नहीं है

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) के तहत मामलों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अयोग्य अधिकार। हालाँकि, आर. टी. आई. अधिनियम के तहत संसद द्वारा शुरू की गई नई व्यवस्था से न्यायालय पूरी तरह से अप्रभावित नहीं हो सकता है।

विशेषाधिकार के दावे के संबंध में प्रश्न। यह ध्यान देने योग्य है कि विभाग के एक अधिकारी को आर. टी. आई. अधिनियम के तहत अनुमति दी गई है कि वह अधिनियम के तहत यश्वंत सिन्हा बनाम के तहत आने वाले मामलों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दे।

सीबीआई टीएचआर। इसके निदेशक [के. एम. जोसेफ, जे.]

धारा 8 (1) (ए) यदि धारा 8 (2) के तहत कोई मामला बनाया गया है। यदि कोई अधिकारी अनुरोध को स्वीकार नहीं करता है, तो एक नागरिक पहले उपाय कर सकता है।

उच्च अधिकारी और अंत में अदालतें। क्या यह कहा जा सकता है कि आर. टी. आई. अधिनियम के तहत एक अधिकारी जिसकी अनुमति दे सकता है, उसे अदालत और वह भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत उच्च न्यायालयों द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकती है। मुझे लगता है कि न्यायालय वास्तव में एक अपवाद के अधीन हो सकता है, अर्थात्:

यदि यह एक ऐसा मामला है जो संविधान के अनुच्छेद 74 (2) के तहत वर्जित है।

25. इस मामले में वास्तव में, जिन दस्तावेजों के संबंध में विशेषाधिकार का दावा किया गया है, वे पहले से ही रिकॉर्ड में हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 वास्तव में एक ऐसी स्थिति पर विचार करती है जहां पक्ष दस्तावेज़ का उत्पादन चाहता है जो एक सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है और सार्वजनिक प्राधिकरण यह तर्क देकर विशेषाधिकार के लिए दावा करता है कि दस्तावेज़ उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। निस्संदेह, इस तरह के दावे की नींव जनहित पर आधारित है और न कुछ अधिक और न कुछ कम। वास्तव में, उत्तर प्रदेश बनाम राज्य में। राज नारायण ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 861 मैं निम्नलिखित अनुच्छेद पर ध्यान देता हूँ के. के. मैथ्यू, जे. के. मैथ्यू, जे. के. मैथ्यू, जे. मैथ्यू, जे. मैथ्यू, जे

" 25. जहाँ तक भारत का संबंध है, उसका साक्ष्य का कानून साक्ष्य के नियमों पर आधारित है, जो अंग्रेजी कानून में प्रचलित हैं, और भारत और इंग्लैंड में अदालतों ने लगातार 5 एस. सी. आर. को बाहर करने से इनकार कर दिया है।

प्रासंगिक साक्ष्य केवल इस आधार पर कि यह अवैध रूप से प्राप्त किया गया है

खोज या जब्ती। बरिन्द्र कुमार घोष और अन्य बनाम। सम्राट (1910) आई. एल. आर. 37 कैल 467 विद्वान मुख्य न्यायाधीश महोदय

लॉरेंस जेनकिंस 500 पृष्ठ पर कहते हैंः

" श्री दास ने तलाशी पर हमला किया है और आग्रह किया है कि, भले ही

तलाशी वारंट जारी करने का निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र था, क्योंकि मैं

संहिता की पूरी तरह से अवहेलना की गई है। इस धारणा पर उन्होंने दावा किया है कि खोज द्वारा खोजे गए सबूत हैं

यह स्वीकार्य नहीं है, लेकिन इस दृष्टिकोण को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। बिना अंदर के किसी भी तरह से निर्धारित प्रावधानों की अवहेलना

संहिता के अनुसार, मेरा मानना है कि जो अन्यथा प्रासंगिक होगा वह करता है अप्रासंगिक नहीं हो जाता क्योंकि इसकी खोज इस क्रम में की गई थी

एक खोज जिसमें उन प्रावधानों की अवहेलना की गई थी। के रूप में

जिमुतवाहन ने अपने चतुर सामान्य ज्ञान के साथ कहा-"एक तथ्य।

100 ग्रंथों द्वारा बदला नहीं जा सकता है ", और उनके टिप्पणीकार के रूप में विचित्र रूप से

टिप्पणीः " यदि एक ब्राह्मण को मार दिया जाता है, तो नियम 'एक ब्राह्मण को न मारें'।

ब्राह्मण 'हत्या को रद्द नहीं करता'। लेकिन इसकी अनुपस्थिति

सावधानियाँ बनाई गई हैं। विधायिका द्वारा समर्थन प्रदान करता है

तर्क है कि कथित खोज की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

.....

.....

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि भारत में, इंग्लैंड की तरह, जहां टेस्ट

संविधान में स्पष्ट या अनिवार्य रूप से निहित निषेध या अवैध तलाशी या जब्ती के परिणामस्वरूप प्राप्त अन्य कानूनी साक्ष्य

बंद किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है "।

(जोर दिया गया)

27. अब धारा के तहत उठाए गए विशेषाधिकार के दावे के संदर्भ में

अब कभी भी, किसी पक्ष द्वारा या सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ साक्ष्य की मांग की जा रही है, हालांकि ऐसा हो सकता है कि कोई पक्ष प्राप्त कर सके

अनुचित तरीके से दस्तावेज़ का y। एक सवाल उठ सकता है

हेथर प्रतिलिपि मूल की वास्तविक प्रतिलिपि है। यदि कोई प्रति पूरी तरह से प्राप्त की जाती है और उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है -

यदि राज्य मूल प्रस्तुत करने के लिए, एक प्रश्न हो सकता है और वास्तव में हो सकता है

क्या न्यायालय पेशी का आदेश देने के लिए बाध्य है। लैंडमार्क में

सेंकी बनाम में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय द्वारा। व्हिटलैम (1978) सी. एल. आर. 1, श्री व्हिटलैम पूर्व प्रधानमंत्री यशवंत सिन्हा बनाम के खिलाफ सूचना दी गई थी।

सीबीआई टीएचआर। इसके निदेशक [के. एम. जोसेफ, जे.]

ऑस्ट्रेलिया के स्टेयर और उनके मंत्रालय के तीन सदस्यों ने अपराध अधिनियम 1914 की धारा 86 के तहत अपराध और एक समान साजिश का आरोप लगाया

इस मामले ने विशेषाधिकार के दावे की गुंजाइश को भी बढ़ा दिया। सर हैरी गिब्स द्वारा दिए गए निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह इस प्रकार थाः

जे. :

" 43. यदि राज्य के कागजातों को पेश करने से पूरी तरह से संरक्षित किया जाता, तो उन मामलों में बहुत अन्याय होता जिनमें आरोपी व्यक्ति के बचाव का समर्थन करने के लिए दस्तावेज़ आवश्यक थे।

जिसकी स्वतंत्रता एक आपराधिक मुकदमे में दांव पर थी, और ऐसा लगता है

यह स्वीकार किया कि उन परिस्थितियों में दस्तावेज़ों को होना चाहिए

खुलासा कियाः डंकन बनाम। कैमेल, लेयरड एंड कंपनी. [1942] यूकेएचएल 3; (1942) एसी 624, पीपी 633-634 पर; कॉनवे बनाम। रिम्मर (1968) ए. सी. पीपी 966-967,987; रेग। वी. लुईस जस्टिस; एक्स पार्टी होम

सचिव (1973) एसी, पीपी 407-408 पर। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो तो एक मंत्री अपनी मर्जी से एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।

ताकि की ओर से शुरू किए गए आपराधिक अभियोजन का समर्थन किया जा सके

सरकार। यह तथ्य कि कुछ परिस्थितियों में राज्य के कागजात सामने आ सकते हैं, इस दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य स्थापित करना असंभव है कि वे

प्रकटीकरण से पूर्ण सुरक्षा का आनंद लें।

48. रॉबिन्सन वी। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया (नंबर 2) (1931) एसी, पी 718 पर, यह यह कहा गया था कि "विशेषाधिकार, इसका कारण यह है कि यह क्या है, उन दस्तावेजों के संबंध में शायद ही दावा किया जा सकता है जिनकी सामग्री पहले ही प्रकाशित हो चुकी है"। अन्य मामले इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैंः मार्कोनी की वायरलेस टेलीग्राफ कंपनी लिमिटेड बनाम देखें। राष्ट्रमंडल

(नंबर 2) (1913) 16 सी. एल. आर., पी. पी. 188,195,199 पर; क्रिस्टी वी। फोर्ड (1957) 2 एफएलआर 202, पी 209 पर। हालांकि श्री व्हिटलम के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि स्थिति अलग होती है जब किसी दस्तावेज़ को बाहर करने की मांग की जाती है, न कि इसकी सामग्री के कारण, बल्कि उस वर्ग के कारण जिससे वह संबंधित है। ऐसे मामले में दस्तावेज़ को उसकी सामग्री की परवाह किए बिना रोक दिया जाता है; इसलिए, यह कहा गया था कि यह महत्वहीन है कि सामग्री ज्ञात है। ऐसा नहीं है; जिन कारणों से मैंने सुझाव दिया है, सार्वजनिक सेवा के उचित संचालन के लिए किसी विशेष वर्ग के दस्तावेज़ को गुप्त रखना आवश्यक हो सकता है, लेकिन एक बार दस्तावेज़ दुनिया के सामने प्रकाशित हो जाने के बाद अदालत को उस दस्तावेज़ तक पहुँच से इनकार करने का कोई कारण नहीं है, अगर वह प्रासंगिक और अन्यथा स्वीकार्य सबूत प्रदान करता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि यदि एक

कैबिनेट पत्रों की एक श्रृंखला का हिस्सा बनने वाला दस्तावेज़ [2019] 5 एस. सी. आर. है।

प्रकाशित, लेकिन अन्य ने नहीं किया है, एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना और बाकी को रोकना अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा। वह वास्तव में ऐसा हो सकता है, और जहां ऐसा एक दस्तावेज़ प्रकाशित किया गया है, वह बन जाता है

अदालत के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या वह परिस्थिति संबंधित के प्रकटीकरण के लिए मामले को मजबूत करता है

दस्तावेज़। हालांकि अगर अन्य संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार एक दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया है।

प्रकाशित यह कहना असंभव और वास्तव में बेतुका हो जाता है कि जनहित के लिए आवश्यक है कि इसे प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए या साक्ष्य में नहीं दिया जाना चाहिए। ”

28. एक अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रकाशन के संबंध में कोई संदेह नहीं है और गैर-प्रमाणित, विद्वान न्यायाधीश का यह कहना थाः

“ 49. मैंने अभी जो कहा है वह उन मामलों पर लागू होता है जहां यह स्थापित होता है कि प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ की एक वास्तविक प्रति वास्तव में प्रकाशित की गई है। किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी आधिकारिक दस्तावेज़ की प्रति होने का दावा किया गया प्रकाशन, लेकिन

अप्रमाणित और सही साबित नहीं होने से अपने आप में इस दावे का कोई समर्थन नहीं होगा कि विचाराधीन दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में यह अनिश्चित रहेगा कि क्या

दस्तावेज़ की सामग्री का सच में खुलासा किया गया था। कुछ में

जिन मामलों को अदालत देख कर समस्या का समाधान कर सकती है

यह देखने के उद्देश्य से दस्तावेज़ कि क्या प्रकाशित प्रति सही थी, लेकिन यह उस पाठ्यक्रम को नहीं लेगा यदि कथित प्रकाशन केवल प्रकटीकरण प्राप्त करने में सहायता करने के लिए एक उपकरण था, और ऐसा करने के लिए अनिच्छुक हो सकता है यदि प्रति चोरी हो गई थी या

अनुचित रूप से प्राप्त किया गया "।

29. इसी मामले में स्टीफन द्वारा दिए गए फैसले में। जे., द

एड जज ने टिप्पणी कीः -

" 26. कार्यवाही के चरित्र का तिगुना महत्व है।

सबसे पहले, यह इस बात की बहुत संभावना बनाता है कि अभियोजन पक्ष के सफल होने के लिए, उसके साक्ष्य में अब तक माने गए वर्ग के दस्तावेज शामिल होने चाहिए।

निस्संदेह क्राउन विशेषाधिकार का विषय है। लेकिन, फिर, समझौता करने के लिए

निश्चित रूप से ऐसे दस्तावेजों का विशेषाधिकार आने वाला है।

उन लोगों को दोषसिद्धि से प्रतिरक्षा प्रदान करने के करीब जो राज्य के उच्च पदों पर हो सकते हैं या हो सकता है अगर आगे बढ़े उन कार्यालयों में उनके आचरण के संबंध में। जिनके पास अंततः यह तय करने की शक्ति है कि उन्हें यशवंत सिन्हा बनाम पर दावा करना है या नहीं।

सीबीआई टीएचआर। इसके निदेशक [के. एम. जोसेफ, जे.]

विशेषाधिकार वास्तव में कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग करेगाः विशेषाधिकार का दावा करने के निर्णय से आरोप की बर्खास्तगी लगभग सुनिश्चित हो जाएगी। दूसरा, और यह मानते हुए कि वर्तमान आरोपों में कोई सार होना चाहिए, उनके चरित्र को पारंपरिक रूप से दिए गए कारणों के बारे में संदेह पैदा करना चाहिए।

दावे को कब बरकरार रखा जाए, यह आरोपों के सफल अभियोजन को रोकने के लिए अनुचित हैः अनुचित क्योंकि जो चार्ज किया जाता है वह अपने आप में उसी भुजा की घोर अनुचित कार्यप्रणाली है सरकार और लोक सेवा जो इसकी सहायता करती है। तीसरा, जिन उच्च पदों पर अभियुक्तों का कब्जा था और साजिशों की प्रकृति के लिए उन कार्यालयों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए

इसे सामान्य से अधिक जनहित का मामला बनाना चाहिए कि आरोपों के निपटारे में न्याय का मार्ग किसी भी तरह से अनावश्यक रूप से बाधित न हो। इस तरह के आरोप तब तक लंबित और अनसुलझे रहने के लिए जब तक उनके पास काफी खराब है; यदि उन्हें अब क्राउन विशेषाधिकार के दावे के साथ पूरा किया जाना है, तो कार्यपालिका के उचित कामकाज के संरक्षण के लिए आह्वान किया जाता है।

सरकार, गैर-प्रकटीकरण में कुछ उच्च स्तर का सार्वजनिक हित

उसका विशेषाधिकार दिए जाने से पहले उसे दिखाया जाना चाहिए।

“ 31. अब जो समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित हैं, वे हैं अदालत की संबंधित भूमिकाएँ और उन लोगों की, आमतौर पर क्राउन, जो क्राउन विशेषाधिकार का दावा करते हैं। क्राउन विशेषाधिकार के दावे का कोई स्वचालित संचालन नहीं होता है; यह हमेशा अदालत का कार्य रहता है कि वह इसका निर्धारण करे।

उस दावे पर। दावा, जो भी सामग्री को अवसर के लिए उपयुक्त माना जा सकता है, अदालत के ध्यान आकर्षित करने के अलावा और कुछ नहीं करता है जिसे विशेषाधिकार की पात्रता कहा जाता है और अदालत को ऐसी सामग्री प्रदान करता है जो यह निर्धारित करने में सहायता कर सकती है कि क्राउन विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं। क्राउन विशेषाधिकार के आह्वान के लिए विशेषाधिकार का दावा आवश्यक नहीं है। रक्षा गोपनीयता, कूटनीति के मामलों या उच्चतम स्तर पर सरकार के मामलों के मामलों में, अक्सर यह आसानी से दिखाई देगा कि सार्वजनिक हित का संतुलन इसके खिलाफ है।

प्रकटीकरण। यह इन क्षेत्रों में है कि, क्राउन विशेषाधिकार के लिए किसी भी दावे के अभाव में भी (शायद इसलिए कि क्राउन एक [2019] 5 एस. सी. आर. नहीं है।

पक्षकार और इस बात से अनजान हो सकता है कि क्या चल रहा है), एक अदालत, जो इस बात के लिए प्रस्तुत साक्ष्य को आसानी से पहचानती है कि वह क्या है, जैसा कि कई अधिकारी स्थापित करते हैं, अदालत में अपने स्वयं के प्रस्ताव के प्रकटीकरण का आदेश दे सकते हैं। जिस तरह एक दावा आवश्यक नहीं है, न ही यह कभी निर्णायक है,

हालांकि, उन क्षेत्रों में जो मैंने स्थापित किए हैं, अदालत का

विशेषाधिकार लागू हो सकता है, हमेशा यह निर्धारित करने के लिए होता है कि इसमें क्या किया जाएगा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सार्वजनिक हित की सर्वोत्तम सेवा कैसे की जा सकती है, यह कितना कम नुकसान पहुंचाएगा।

" 38. जो लोग दस्तावेजों के वर्गों के लिए क्राउन विशेषाधिकार का आग्रह करते हैं, वे विशेष सामग्री की परवाह किए बिना, भारी बोझ उठाते हैं। जैसा कि लॉर्ड रीड ने रोजर्स बनाम में कहा था। गृह सचिव (1973) एसी, पृष्ठ 400 पर कॉनवे बनाम में भाषण। रिम्मर [1968] यूकेएचएल 2; (1968) एसी 910 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सबूत का भारी बोझ है।

जो वर्ग के दावे करते हैं। कभी-कभी वर्ग के दावों का समर्थन मंत्रियों को अपनी सलाह में लोक सेवकों की ओर से स्पष्टता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के संदर्भ में किया जाता है, बाद में प्रकटीकरण से प्रतिरक्षा जो इस तरह की स्पष्टता को बढ़ावा देने के लिए विशेषाधिकार प्रदान करती है। इस मामले में हलफनामे संदर्भ देते हैं

इस पहलू के लिए। हाल के अधिकारियों ने इस आधार को विशेषाधिकार के लिए एक स्थायी आधार के रूप में निपटाया है। ग्लासगो में लॉर्ड रैडक्लिफ

निगम मामले ने 1956 एस. सी. (एच. एल.), पृष्ठ 20 पर टिप्पणी की कि वह क्राउन सेवकों को "कठोर सामान से बना" मानते, एक विचार जिसे हरमन एल. जे. ने ग्रोसवेनर होटल मामले (1965) च में पृष्ठ 1255 पर साझा कियाः फिर, कॉनवे बनाम में। रिम्मर (1968) ए. सी. 901, लॉर्ड रीड ने "स्पष्ट" तर्क को खारिज कर दिया, लेकिन कैबिनेट कार्यवृत्त और इसी तरह के मामलों में गोपनीयता में सार्वजनिक हित के लिए सही आधार पाया, इस तथ्य में झूठ बोलने के लिए कि अगर उनका खुलासा किया जाता है तो यह "बीमार-सूचित या आकर्षक सार्वजनिक या राजनीतिक को पैदा या उत्तेजित करेगा।

आलोचना। ..... सरकारी मशीन की आंतरिक कार्यप्रणाली को पृष्ठभूमि की पर्याप्त जानकारी के बिना और शायद पीसने के लिए कुछ कुल्हाड़ी के साथ आलोचना करने के लिए तैयार लोगों की नज़रों के संपर्क में लाया जा रहा है "(1968) एसी, पृष्ठ 952 पर और लॉर्ड मॉरिस (1968) एसी, पृष्ठ 959 पर, लॉर्ड पीयर्स (1968) एसी, पृष्ठ 987-988 पर और लॉर्ड अपजॉन (1968) एसी, पृष्ठ 933-934 पर" स्पष्टता "के आधार के रूप में देखें। रोजर्स में वी. गृह सचिव (1973) ए. सी. ने पृष्ठ 413 पर लॉर्ड सैल्मन ने "स्पष्ट" तर्क को "पुराना भ्रम" बताया।

यशवंत सिन्हा बनाम। सीबीआई टीएचआर। इसके निदेशक [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 41. इसके अलावा, एक और कारक है जो उसी की ओर इशारा करता है दिशा। खुलासा न करने में जनहित बहुत कम हो जाएगा।

वजन में यदि विचाराधीन दस्तावेज़ या जानकारी पहले से ही है

बड़े पैमाने पर दुनिया के सामने प्रकाशित किया गया। बहुत अधिकार है कि

यह प्रभाव, कम से कम रॉबिन्सन बनाम तक वापस जा रहा है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया

(नंबर 2) (1931) एसी 704, पी 718 पर प्रति लॉर्ड ब्लेन्सबर्ग। 1949 में

जे. क्रीवाल्ड्ट, उत्तरी क्षेत्र के सर्वोच्च न्यायालय में बैठे,

में अपने फैसले में संबंधित अधिकारियों की समीक्षा करने का अवसर था

क्रिस्टी वी। फोर्ड (1957) 2 एफएलआर 202, पी 209 पर। इसका कारण

" विशेषाधिकार, इसका कारण क्या है, शायद ही हो सकता है जिन दस्तावेजों की सामग्री के संबंध में दावा किया गया है

पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है "। व्हाइटहॉल वी. व्हाइटहॉल 1957 एससी 30, पर पी 38 लॉर्ड प्रेसिडेंट (क्लाइड) पहले से ही एक दस्तावेज़ का उल्लेख करते हुए

कुछ काफी सीमित पूर्व प्रचार के विषय ने देखा कि "

गोपनीयता की आवश्यकता, जो इसका प्राथमिक उद्देश्य है प्रमाणपत्र, फिर काम नहीं करता है। "

" 44. रोजर्स बनाम। गृह सचिव लॉर्ड रीड के पास अवसर था कानूनी रूप से प्रकाशित दस्तावेजों और उन दस्तावेजों के बीच अंतर करें जो,

"कुछ गलत साधनों" के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक हो गए हैं (1973)

एसी, पी 402 पर। हालाँकि, वह मामला काफी हद तक संबंधित था

दस्तावेज़ का विशेष वर्ग, आवेदकों पर गोपनीय रिपोर्ट

खेल प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए लाइसेंस, एक वर्ग जिसके लिए आवेदन करना आवश्यक है उन लोगों के समान विचार जो रिपोर्टों को प्रभावित करते हैं,

या पुलिस मुखबिरों के बारे में जानकारी। उन मामलों में, सूचना के प्रवाह को संरक्षित करने में सबसे स्पष्ट सार्वजनिक हित

गोपनीयता सुनिश्चित करके और किसी भी तरह से समर्थन नहीं करके

वादा की गई गोपनीयता का उल्लंघन। वे काफी खास हैं।

मुझे लगता है कि विचार वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं।

(जोर दिया गया)

30. रोजर्स बनाम गृह सचिव 1973 ए. सी. 388 में,

सी. ई. पुलिस अधिकारी द्वारा गेमिंग बोर्ड को लिखा गया एक पत्र

सहमति के प्रमाण पत्र के लिए अपीलार्थी द्वारा दलीलों के संबंध में जानकारी के लिए खेल बोर्ड के अनुरोध का जवाब नहीं थाहाउस ऑफ लॉड्र्स द्वारा किराए पर लिया गया। अपीलार्थी ने सूचना के संबंध में आपराधिक मानहानि का मुकदमा शुरू किया था। में लॉर्ड रीड

ई ने अपने फैसले में कहाः

" संतुलन पर मेरे निर्णय में सार्वजनिक हित स्पष्ट रूप से आवश्यक है कि इस तरह के दस्तावेजों का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, और यह कि सार्वजनिक हित इस तथ्य से प्रभावित नहीं होता है कि किसी गलत तरीके से ऐसे दस्तावेज़ की एक प्रति किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त और प्रकाशित की गई है। इसलिए मैं अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दूंगा। ”

31. हालाँकि इस मामले में जैसा कि मैंने पहले ही देखा है कि निम्नलिखित पहलू हैं। विचाराधीन दस्तावेज़ प्रकाशित किए गए हैं

दस्तावेजों की सामग्री की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया जाता है। अंत में, मामले में विशेषाधिकार के दावे को सख्ती से शामिल नहीं किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने उत्तरदाताओं से मूल प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा है और जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि राज्य दस्तावेजों की सामग्री की शुद्धता पर आपत्ति नहीं करता है। उत्तरदाताओं का अनुरोध है कि दस्तावेज़ों को अभिलेख से हटा दिया जाए। मैं देख लूंगा कि उन दस्तावेजों के संबंध में जो अनुचित रूप से प्राप्त किए गए हैं और जो विशेषाधिकार के दावे के अधीन हैं, निस्संदेह प्रासंगिकता का सामान्य नियम अकेले पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि किसी दिए गए मामले में व्यापक सार्वजनिक हित सार्वजनिक हित को ओवरराइड करने के आधार पर वर्जित को वैध बनाने से इनकार कर सकता है। जिस रिट याचिका से समीक्षा उत्पन्न होती है, उसमें शिकायत यह है कि सत्ता के सर्वोच्च क्षेत्रों में गंभीर गलतियां की गई हैं और याचिकाकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग करते हैं। स्टीफन, जे द्वारा की गई टिप्पणियाँ। उनके निर्णय के पैरा 26 में और मेरे द्वारा मेरे आदेश के पैरा 29 में निकाला गया स्थान से बाहर नहीं हो सकता है।

32. मैं विद्वान मुख्य न्यायाधीश के आदेश से सहमत हूं।

देविका गुजराल

पुनरीक्षण याचिकाओं पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है।